

पूर्व मध्य रेल



क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता
परामर्शदात्री समिति

के सदस्यों

का

हार्दिक स्वागत
करता है



स्थान : गैलेक्सी सभागार, होटल पनाश, पटना

दिनांक : 27 दिसम्बर 2021

सूची

क्र.सं.	मद		पृष्ठ संख्या
1.	जेड0 आर0 यू0 सी0 सी0 का उप विधि (बाइलॉज)		1—9
2.	जेड0 आर0 यू0 सी0 सी0 के सदस्यों की सूची		10—18
3.	जेड0 आर0 यू0 सी0 सी0 का गठन एवं कार्य		19
4.	पूर्व मध्य रेल: एक परिचय		20—25
5.	यात्री सेवा		26—37
6.	2020—21 एवं 2021—22 में दी गयी यात्री गाड़ियों की सुविधाएं		38—41
7.	माल लदान		42—43
8.	समय पालन		44
9.	समय पालन में सुधार हेतु उठाये गये कदम		45—46
10.	2020—21 एवं 2021—22 में यात्री सुविधाओं में किए गए कार्य		47—51
11.	2021—22 में पूरे किये जाने वाले यात्री सुविधा के कार्य		52
12.	महत्वपूर्ण परियोजनाएं		53—73
13.	ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, मधेपुरा		73—75
14.	डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, मढ़ौरा		76—78
15.	सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना ,हरनौत ,नालन्दा (बिहार)		78—80
16	स्वच्छ रेल : स्वच्छ भारत		81—83
19.	पूर्व मध्य रेल —स्वास्थ सुविधाएं		84—86
20.	पूर्व मध्य रेल के मंडल	धनबाद	87—90
21.		पंडित दीन दयाल उपाध्याय	91—93
22.		दानापुर	94—97
23.		सोनपुर	98—101
24.		समस्तीपुर	101—104
25.	सुरक्षा		104—105
	धन्यवाद		

जेड. आर. यू. सी. सी. (ZRUC)C

पूर्व मध्य रेल

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की प्रस्तावित उप-विधि

1.0 प्रस्तावना :

1.1 रेल उपयोगकर्ता का बेहतर एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने, पूर्व मध्य रेल प्रशासन और उपयोगकर्ताओं के बीच इस रेल द्वारा प्रदत्त सेवा से सम्बन्धित मामलों पर परामर्श के अधिक अवसर उपलब्ध कराने एवं सेवा की दक्षता में सुधार हेतु पूर्व मध्य रेल के प्रधान कार्यालय, हाजीपुर में क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति बनाई गई है, (जिसे अब से जेड.आर.यू.सी.सी.-ZRUC)C कहा जाएगा) साथ ही दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर के मंडल मुख्यालयों में पांच डी.आर.यू.सी.सी. भी गठित की गई है।

1.2 **क्षे.रे.उ.प.स. (ZRUC)C का उद्देश्य :** जेड.आर.यू.सी.सी. के गठन का उद्देश्य स्टेशनों और गाड़ियों दोनों पर यात्री-सुविधाओं को रेलवे उपयोगकर्ताओं के लिए यथासंभव लाभदायक बनाने के लिए सदस्यों के परामर्श से जनमत प्राप्त करने का प्रावधान करना और इस प्रकार रेलवे प्रशासन को जनमत और आवश्यकता के अनुरूप पूर्णतः सही एवं शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना है ताकि रेलवे के पास उपलब्ध संसाधनों का सही दिशा में अधिकतम उपयोग हो सके और बिना अतिरिक्त खर्च के अधिक वांछित काम पूरा किया जा सके।

2.0 समिति का गठन :

2.1 जेड.आर.यू.सी.सी. में इस रेलवे द्वारा सेवित राज्य क्षेत्र में सामान्य रेलवे उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधित्व हेतु माननीय रेल मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे जिसे नीचे दर्शाया गया है :-

2.1.1 (क) 10 संसद सदस्य (07 लोक सभा और 03 राज्य सभा)।

(ख) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री (लोक सभा एवं राज्य सभा) के निर्वाचन क्षेत्र जो पूर्व मध्य रेल सेवित क्षेत्र में हो, के द्वारा नामित एक प्रतिनिधि।

2.1.2 इस रेलवे द्वारा सेवित राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित प्रत्येक विधान मंडल का एक सदस्य।

2.1.3 इस रेलवे द्वारा सेवित प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जैसा कि उस सरकार द्वारा अनुशंसित हो।

2.1.4 प्रमुख चेम्बर ऑफ कामर्स और ट्रेड एसोसिएशन के अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधि तथा/या जिस व्यापार संघ का स्थायित्व पांच साल से कम न हो।

2.1.5 राज्य सरकार अथवा कृषि संगठन एवं अन्य निकायों के दो प्रतिनिधि, जो उपर्युक्त 2.1.4 में उल्लिखित चेम्बर आफ कामर्स से संबद्ध या शामिल नहीं हैं।

2.1.6 रेलवे के क्षेत्र में सेवित सार्वजनिक उपक्रम जिसमें पोर्ट भी शामिल हैं के दो प्रतिनिधि।

2.1.7 रेलवे के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत यात्री संगठनों में प्रत्येक राज्य से एक या दो एवं समिति में अधिकतम दो प्रतिनिधि।

2.1.8 "विशेष हित" (स्पेशल इन्टरेस्ट) के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए रेलवे के महाप्रबंधक की सिफारिश पर नामित एक सदस्य।

2.1.9 ऐसे हितों, जिन्हें माननीय रेल मंत्री समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाना आवश्यक समझें, का प्रतिनिधित्व करने के लिए वह उतनी संख्या में व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं, जितना वह आवश्यक समझें।

2.1.10 रेलवे के क्षेत्र में कार्यरत उपयोगकर्ता संरक्षण संगठन (कंज्यूमर प्रोटेक्शन आरगेनाइजेशन) का एक प्रतिनिधि।

2.1.11 इस रेलवे के प्रत्येक मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से चुने हुए एक गैर सरकारी प्रतिनिधि।

2.1.12 दिव्यांग एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि।

2.2 जिन व्यक्तियों के पास रेलवे से जुड़े मुनाफे का कार्यभार जैसे खानपान एवं बिक्री ठेकेदारों, आउट एजेन्सी ठेकेदारों, हैंडलिंग ठेकेदारों, इन्जीनियरिंग ठेकेदारों सहित ट्रेवलिंग एजेंसियाँ अथवा वे, जो मालगोदाम पार्सल कार्यालयों आदि के साथ दिन-प्रतिदिन के काम में घनिष्ट और सीधे जुड़े हैं, जैसे फारवर्डिंग एजेंटों आदि क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति एवं राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्य हैं।

2.2.1 यदि किसी सदस्य को विशेष हित की कोटि के अन्तर्गत मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति और क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति दोनों के लिए नामित किया जाता है तो उस व्यक्ति की सदस्यता केवल एक ही समिति अर्थात् मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में ही मान्य होगी तथा क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से उनका नामांकन रद्द कर दिया जाना चाहिए।

2.3 पूर्व मध्य रेल क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित राज्य होंगे – 1. बिहार, 2. उत्तर प्रदेश 3. झारखंड और 4. मध्य प्रदेश

2.4 महाप्रबंधक समिति के अध्यक्ष होंगे तथा उप महाप्रबंधक (सा.), पूर्व मध्य रेलवे समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

2.5 उद्योग, वाणिज्य और व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य महत्वपूर्ण स्थानीय चैम्बरों या प्रमुख व्यापार हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों से सामान्यतया लिए जाते हैं जिसे संबंधित राज्य सरकारों का अनुमोदन प्राप्त होता है। चैम्बर तथा/या संघों और अन्य के प्रतिनिधित्व के संबंध में माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात उक्त संगठनों को उनका/उनके प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के नाम नामित करने की सलाह दी जाएगी। यह उक्त चैम्बरों/संघ के विवेक पर है कि प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा हो या किसी अन्य तरीके से।

2.6 क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाएगा जो इसके गठन की तिथि से दो वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.7 सदस्यों का वर्गीकरण

2.7.1 सरकारी सदस्य, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, तथा अर्द्ध सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि “सरकारी सदस्यों” की कोटि में आएंगे।

2.7.2 गैर सरकारी सदस्य : उपर्युक्त पैरा 2.7.1 में दिये गए सदस्यों के अलावा बाकी सभी सदस्यों को सभी प्रयोजन के लिए गैर सरकारी सदस्य समझा जाता है।

3.0 कार्य संबंधी शर्तें:

3.1 प्रधान कार्यालय स्थित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति इस रेलवे द्वारा सेवित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य रेल उपयोगकर्ता का प्रतिनिधित्व करेगी और निम्न से संबंधित मामलों पर विचार कर सकती है :-

3.1.1 रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में यात्री या मालभाड़ा से संबंधित सुविधाओं का प्रावधान।

3.1.2 समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नए स्टेशनों के खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव।

3.1.3 समय सारणी संबंधी व्यवस्थाएं।

3.1.4 रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सुधार।

3.1.5 सामान्य लोकहित या सार्वजनिक सुविधा या सुविधाओं से जुड़े ऐसे मामले जो उपयोगकर्ता के प्रतिवेदन का विषय रहा हो, से संबंधित कोई विषय।

3.2 मंडल समितियों के रिपोर्टों से उत्पन्न मामले या ऐसे अन्य मामले जो उपर्युक्त मद (3.1.1 से 3.1.5) में उल्लिखित विषयों से संबंधित हैं, जो विशेष रूप से मंडल समितियों द्वारा विचारार्थ अग्रसारित किए जाते हैं।

- 3.2.1 प्रशासन रेल मंत्रालय अथवा राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (एन.आर.यू.सी.सी.) की रिपोर्ट और विचारार्थ भेजे गए मामले।
- 3.2.2 रेलवे दरों (भारिक शुल्क को छोड़कर) और किराए से संबंधित मामले एवं कर्मचारी से संबंधित मामले, अनुशासनात्मक कार्यवाही और नियुक्ति आदि से संबंधित प्रश्न समिति के समक्ष विचारार्थ नहीं लाए जाएंगे।

3.3 इन नियमों के तहत गठित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की प्रकृति पूर्णतः परामर्शदात्री ही होगी।

4.0 समिति की बैठक :

- 4.1 एक वर्ष में तीन बैठकें आयोजित की जाएगी।
- 4.2 किसी विषय में सूचना जिसे कोई सदस्य विचार के लिए करना चाहते हों, वे बैठक के निर्धारित तिथि के न्यूनतम 45 (पैंतालिस) दिन पहले समिति के सचिव के पास अवश्य भेज दें। फिर भी, अत्यावश्यक विषयों पर अध्यक्ष की अनुमति/सहमति से विचार-विमर्श किया जा सकता है।
- 4.3 समिति की बैठक आयोजित करने के लिए कोई निर्धारित कोरम नहीं है।

5.0 चुनाव :

- 5.1 प्रत्येक अवधि के लिए रा.रे.उ.प.स. (एन.आर.यू.सी.सी.) में प्रतिनिधि भेजने के लिए गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होगा। समिति पूर्णरूपेण गठित होने के बाद ही इस प्रकार का चुनाव होना चाहिए।
- 5.1.1 रा. रे. उ. प. स. के चुनाव तभी होंगे जब प्रत्येक म.रे.उ.प.स. से चुनाव द्वारा अपना एक-एक प्रतिनिधि क्षे. रे. उ. प. स. में भेज दिया गया हो।
- 5.2 पैरा 2.7.2 में वर्गीकृत गैर-सरकारी सदस्य ही रा. रे. उ. प. स. एवं उप रे. उ. प. स. में प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षे. रे. उ. प. स. के चुनाव में खड़ा होंगे।
- 5.2.1 केवल गैर-सरकारी सदस्य ही उपर्युक्त उद्देश्य के लिए मतदान के योग्य होंगे।
- 5.2.2 अन्य सदस्यों द्वारा विधिवत् प्रस्तावित एवं अनुशंसित इच्छुक सदस्य द्वारा ही रा.रे.उ.प.स. के लिए चुने जाने हेतु नामांकन पत्र भरे जायेंगे।
- 5.2.3 कोई भी सदस्य, जो स्वयं चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हो, इसी उद्देश्य के लिए किसी एक दूसरे सदस्य का प्रस्ताव/अनुशंसा कर सकता है।
- 5.2.4 प्रक्रिया संबंधी हुई त्रुटि जैसा कि पैरा 5.2.2 एवं 5.2.3 में उल्लिखित है, यदि नामांकन पत्र जाँच करते समय पता चलता है तो नामांकन रद्द माना जायेगा।
- 5.3.1 माननीय संसद सदस्य, विभिन्न राज्यों के माननीय विधान सभा सदस्य जो किसी रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शकर्ता समिति यथा क्षे.र.उ.प.रा. एवं एन.आर.यू.सी.सी. में चुने जाने के हकदार नहीं होंगे, जिसमें उनके सीधे नामांकन के लिए पहले से ही प्रावधान है।
- 5.4 इस उद्देश्य के लिए चुनाव संपन्न कराने हेतु अध्यक्ष, पहले ही पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए किसी एक अधिकारी को भी नियुक्त करेगा।
- 5.4.1 मतदान का परिणाम अनिणित रहने पर समिति के अध्यक्ष चुनाव को निर्णायक बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।

6.0 परिचय पत्र :

- 6.1 परिचय पत्र जारी करने के लिए सभी सदस्यों द्वारा दो स्टाम्प साइज फोटोग्राफ जमा किया जाना चाहिए।
- 6.1.1 सदस्यों को जारी किया गया परिचय पत्र निःशुल्क रेलवे पास के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

- 6.2 परिचय पत्र के खो जाने पर क्षेत्र.उ.प.स. के सदस्यों द्वारा प्राथमिक सूचना रपट (एफ.आई.आर.) की एक प्रति के साथ इस संबंध में आवेदन दिया जाना चाहिए। रेलवे उन्हें एक नया परिचय पत्र जारी करेगी जिस पर डूपलीकेट अंकित होगा।
- 6.3 सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाने पर सदस्यों को अपना परिचय पत्र निर्गमण प्राधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए। यदि कार्य अवधि के पहले ही समिति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भंग कर दी जाती है तो भी सदस्यों को अपने परिचय पत्र निर्गमण प्राधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए।

7.0 परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) :-

- 7.1 जब कभी भी रेलवे द्वारा परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) का आयोजन किया जायेगा केवल गैर-सरकारी सदस्य ही उसमें भाग लेने के योग्य हैं।
- 7.2 अत्यावश्यक समझे जाने पर विश्रामगृह/विश्रामागार की व्यवस्था परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) के समय निःशुल्क की जाएगी।
- 7.3 यदि पर्याप्त संख्या में सदस्य यात्रा में सहभागी बनने के लिए अपनी पूर्व सहमति दे देने के बाद नहीं आते हैं तो सदस्यों की उपस्थिति के आकार को देखते हुए यात्रा की तिथि के दिन यात्रा को रद्द कर देने का अधिकार रेलवे प्रशासन के पास सुरक्षित है ताकि व्यर्थ व्यय से बचा जा सके। स्थगन के निर्णय पर विचार-विमर्श अगली बैठक में की जानी चाहिए।

8.0 बैठक के समय सदस्यों के लिए सामान्य सुविधाएँ :

- 8.1 बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाए गए दूरवर्ती सदस्यों के लिए सिर्फ तीन दिनों के लिए ही (बैठक के पहले दिन, बैठक का दिन तथा बैठक के बाद का दिन) बैठक-स्थल के निकटतम स्टेशन पर रेलवे रिटाररिंग रूमो/विश्रामगृहों में निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी तथा रहने की व्यवस्था में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी स्वीकार नहीं की जायेगी, तथा रेल प्रशासन द्वारा जगह की अनुपलब्धता की स्थिति में उपयुक्त/उपलब्ध होटलों में की जायेगी।
- 8.2 बैठक में उपस्थित होने के लिये आये सदस्यगण, विश्रामगृह/रिटाररिंग कक्षों/होटलों में ठहरने के दौरान खान-पान सेवाओं का लाभ केवल स्वयं भुगतान करके ही उठा सकते हैं।
- 8.3 सदस्यों के लिए ठहरने के स्थान से बैठक-स्थल तक आने एवं जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है।

9.0 यातायात सुविधाएँ :

9.1 गैर-सरकारी सदस्यों के लिए :

- 9.1.1 बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाए जाने पर गैर-सरकारी सदस्यों को अपने गृह-स्थान (होम स्टेशन) से सिर्फ बैठक-स्थल तक पहुँचने तथा वापसी की यात्रा के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/।। वातानुकूलित दर्जे (राजधानी एवं शताब्दी गाड़ियों को छोड़कर) के पास जारी किये जाएंगे।
- 9.1.2 प्रथम श्रेणी/।। वातानुकूलित श्रेणी के लिए जारी इस तरह के पास पर एक परिचायक को द्वितीय श्रेणी/शयनयान में ले जाने की सुविधा होगी।
- 9.1.3 यदि कोई सदस्य प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करना चाहें तो उन्हें जैसा देय होगा, भाड़े का अन्तर देना होगा (राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के किसी श्रेणी को छोड़कर)।
- 9.1.4 पहले से विद्यमान पास-नियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार मार्गस्थ यात्रा भंग करने की अनुमति है। इस उद्देश्य के लिए कोई भी अतिरिक्त यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9.1.5 उन स्थानों के लिए जो रेल-हेड से जुड़े हो, विमान यात्रा अनुमेय नहीं है। उन स्थानों के लिए जो रेल-हेड से जुड़े न हों, सदस्य के निवास से निकटतम हवाई अड्डे से निकटतम रेल-हेड तक विमान यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। फिर भी, यदि निकटतम हवाई अड्डे से निकटतम रेल-हेड तक का हवाई किराया और निकटतम रेल-हेड तक का हवाई किराया और निकटतम रेल-हेड से बैठक स्थल के बीच के रेल किराए (2 वाता.) का कुल

योग निवास स्थान के निकटतम हवाई अड्डे से बैठक स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक के कुल हवाई किराये से अधिक हो, तो सदस्य के निवास के निकटतम हवाई अड्डे से बैठक स्थल तक हवाई किराये की अनुमति दी जा सकती है।

- 9.1.6 यदि कोई सदस्य वैसे स्थान पर रह रहे हों जो रेल-हेड से नहीं जुड़ा हो और निकटतम रेल-हेड तक समुद्री मार्ग के साथ ही हवाई मार्ग से भी पहुँचा जा सकता होय तब सदस्य को परिवहन के वैसे साधन से यात्रा करने की अनुमति होगी जिसका किराया कम हो।
- 9.1.7 रेलवे स्थापना (इस्टेब्लिशमेंट) के निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को कोई अतिरिक्त पास नहीं जारी किया जाएगा।

9.2 सरकारी सदस्यों के लिए :

9.2.1 सिर्फ बैठक-स्थल तक पहुँचने तथा वापसी हेतु राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्योगों के प्रधान कार्यालयों से सरकारी सदस्यों के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के पास जारी किए जा सकते हैं।

9.3 राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए:

9.3.1 अपने गृह स्थान (होम स्टेशन) से बैठक स्थल तक यात्रा करने हेतु विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के लिए पास जारी किए जा सकते हैं।

9.4 संसद सदस्यों के लिए :

- 9.4.1 एक संसद सदस्य/सदस्या अपने लिए जारी पहचान कार्ड-सह रेलवे पास का उपयोग कर साधारणतः रेल द्वारा ही यात्रा करेंगे/करेंगी। वे अपनी मर्जी से विमान द्वारा भी यात्रा कर सकते/सकती हैं। फिर भी, सामान्य रूप से विमान यात्रा का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए तथा इस तरह की यात्रा करने के लिए कारकों यथा-कार्य की अत्यावश्यकता यात्रा की जाने वाली दूरी, अपने कार्य-निष्पादन के लिए समय इत्यादि का ध्यान सदस्य/सदस्या को रखनी चाहिए तथा जहाँ विमानों में दो श्रेणियों यथा-प्रथम एवं मितव्ययी (पर्यटक) श्रेणी, उपलब्ध हों, एक संसद सदस्य/सदस्या प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते/सकती हैं।
- 9.4.2 संसद सदस्य/सदस्या के लिए सामान्यतः कोई पास जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें पहचान कार्ड-सह-रेलवे पास दिया गया है फिर भी उनकी ओर से समिति या उसकी उप समिति में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी मानार्थ पास जारी करने के विशेष अनुरोध पर ऐसा किया जा सकता है, यदि पहचान कार्ड-सह-रेलवे पास खो जाने की सूचना दी गई हो।
- 9.4.3 जहाँ कोई सदस्य संसद के सदन के सत्र अथवा किसी समिति की बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से अथवा सदस्य के रूप में अपने ड्यूटी से संबंधित किसी अन्य कार्य करने के उद्देश्य से अपने सामान्य निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से अथवा ऐसे स्थान तक वापसी यात्रा करता है, तो वह की गई वास्तविक यात्रा अथवा अपने सामान्य निवास स्थान से या तक यात्रा, जो भी कम हो, के लिए यात्रा भत्ता आहरित कर सकता है।

9.5 परिचर की परिभाषा :

- 9.5.1 'परिचर' शब्द की परिभाषा यह है कि एक व्यक्ति जो पास धारक की व्यक्तिगत सेवा में वेतन पर नियोजित किया गया हो। इसमें पूरे समय वाले घरेलू कर्मचारी शामिल हैं यथा-बेयरा, खनसामों (बटलर), रसोइया, आया इत्यादि। लेकिन इसमें शिक्षक, दर्जी, धोबी इत्यादि या पास धारक का कोई संबंधी, जो नौकर की तरह कार्य कर रहा हो, शामिल नहीं है।

9.6 सामान्य यात्रा सुविधाएँ :

- 9.6.1 समिति की बैठकों में भाग लेने या समिति के अन्य कार्य के लिए सदस्यों को 'अस्थायी' निवास के निकटतम रेलवे स्टेशन से पास जारी करने हेतु उनके अनुरोध को गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जा सकता है तथा महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन से पास जारी की जा सकती है, बशर्ते कि अस्थायी निवास स्थल तथा बैठक स्थल के नीचे की दूरी स्थायी निवास स्थल तथा बैठक स्थल के बीच की दूरी से कम हो।
- 9.6.2 निवास स्थान के अतिरिक्त भी किसी स्टेशन तक वापसी यात्रा के लिए पास जारी की जा सकती है, बशर्ते कि बहिर्यात्रा के लिए जारी पास के स्टेशन की दूरी से वह दूरी (वापसी यात्रा की) कम हो।

10.0 यात्रा एवं दैनिक भत्ते :

10.1 गैर-सरकारी सदस्यगण :

- 10.1.1 सदस्य के निवास स्थल के निकटतम रेलवे स्टेशन तथा बैठक स्थल के बीच तथा उसके विपरीत कम में यात्रा करने में लगे कोई भी कैलेण्डर दिन या एक से अधिक दिन के लिए पाकेट खर्च में से बैठक की अवधि के दौरान ₹0 300/- की दर से बैठक के दिन एवं ₹. 150/- की दर से यात्रा में बिताये दिनों के लिए दैनिक भत्ता दिया जायेगा।
- 10.1.2 शहर जिसमें बैठक हो रही है, के किसी कोने में रहने वाले क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के स्थानीय गैर-सरकारी सदस्य वास्तविक वाहन किराया प्रभार अथवा 200/- ₹0 प्रतिदिन जो भी कम हो, भुगतान के पात्र होंगे।

10.2 सरकारी सदस्य :

- 10.2.1 समिति के सरकारी सदस्य पैरा 10.1.1 एवं 10.1.2 में वर्णित भत्तों के हकदार नहीं होंगे। इस सदस्यों को यात्रा भत्ता उनके अपने नियमों के अनुसार दिया जाएगा और उनके संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा वहन किया जायेगा।

10.3 विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों :

- 10.3.1 क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में नामित राज्य विधायिका के सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता (सुविधा भत्ता सहित) संबंधित राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियम के अंतर्गत दिया जाएगा और राज्य विधायिका माना जाएगा और राज्य विधायिका के सत्र के दौरान वे अपने संबंधित वेतन और भत्ता भुगतान तथा रिमुवल ऑफ सिक्वालिफिकेशन अधिनियम के अंतर्गत निर्देशित होंगे। फिर भी इन सदस्यों को उनके निवास स्थान के निकटतम स्टेशन से बैठक स्थल पर आने एवं वापसी यात्रा हेतु प्रथम श्रेणी पास जारी किया जा सकता है। यदि विधायिका के सदस्य ऐसा अनुरोध करते हैं तो संबंधित उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक स्थल से उस शहर के स्टेशन तक जहाँ विधान सभा स्थित है, की वापसी यात्रा हेतु भी पास जारी किया जा सकता है। राज्य विधायिका के सदस्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता (सुविधा भत्ता सहित) की निकासी नहीं करेंगे, जो उन्हें राज्य विधायिका के सदस्य के अयोग्य बना सकता है।
- 10.3.2 किसी भी ऐसे दिन के लिए जिसके लिए सदस्य, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य के रूप में अपने दैनिक भत्ता के हकदार हैं, दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- 10.3.2.1 बैठक के स्थान एवं उनके निवास स्थान के निकटस्थ रेलवे स्टेशन के बीच और उसी प्रकार दूसरी ओर से वापसी के तहत यात्रा में लगे दिनों की संख्या की गणना यात्रा भत्ता के रूप में की जाएगी तथा सदस्य द्वारा किये गये वास्तविक व्यय की प्राप्ति तक वापसी सीमित होगी। इस उद्देश्य के लिए सदस्य के दावे के साथ निम्नलिखित के संबंध में एक समुचित प्रमाण पत्र संलग्न होगा :

“प्रमाणित किया जाता है कि क्षेत्र.उ.प.स. के सदस्य के रूप में कर्तव्य निर्वाह में मेरे द्वारा किया गया वास्तविक व्यय जिसके लिए यात्रा भत्ता/परिवर्तन भत्ता का इस बिल में दावा किया गया है, वह दावा की गयी राशि से कम नहीं था।”

सदस्य विधान सभा/सदस्य विधान परिषद् का हस्ताक्षर

10.4 संसद सदस्य :

- 10.4.1 संसद सदस्य के पक्ष में निर्गत किया गया पहचान-पत्र-सह-रेलवे पास का उपयोग कर वे रेल द्वारा साधारणतया यात्रा करेंगे। वे अपने विवेकानुसार वायुयान द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। यदि वायुयान द्वारा यात्रा किया जाता है, तो आउट ऑफ पाकेट खर्च स्वरूप ऐसी यात्रा हेतु वायुयान भाड.1 का एक एवं एक चौथाई के बराबर की राशि के लिए सदस्य हकदार होंगे।
- 10.4.2 समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए संसद सदस्य रेल की अपेक्षा सड़क द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। ऐसे मामले में संसद सदस्य 16.00 रु0 प्रति कि.मी. की दर से रोड मील-भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। यात्रा भत्ता की जगह जो उनको स्वीकार्य रहा हो यदि वे रेल द्वारा यात्रा करते, बशर्ते कि सम्पूर्ण यात्रा के लिए ऐसे सदस्य द्वारा लिये गये यात्रा भत्ता की कुल राशि से उक्त राशि अधिक नहीं होगी जो उनके लिए स्वीकार्य रहा होगा, अगर वे रेल द्वारा यात्रा कर चुके होते।
- 10.4.3 यदि संसद सदस्य रेल द्वारा यात्रा करते हैं तो बैठक का स्थान एवं निवास स्थान से आउट ऑफ पाकेट खर्च के रूप में इकहरी द्वितीय श्रेणी भाड़ा और इकहरी यात्रा प्रथम श्रेणी भाड़ा के बराबर की राशि यात्रा भत्ता स्वरूप भुगतान किया जाना चाहिए बिना इस बात पर ध्यान दिए कि सदस्य ने किस श्रेणी में यात्रा की।
- 10.4.4 बैठक की अवधि के दौरान रु.2000/- प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता।
- 10.4.5 बैठक के दिन/दिनों में इस दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, सदस्य बैठक को कार्यवाही के दो दिन पूर्व और बैठक समापन के दो दिन बाद हेतु दैनिक भत्ता के लिए हकदार होंगे, यदि वे इन दिनों में बैठक के स्थान पर वास्तव में ठहरते हैं।
- 10.4.6 किसी भी ऐसे दिन के लिए दैनिक भत्ता का भुगतान देय नहीं है जिस दिन संसद सदस्य एक संसद सदस्य के रूप में अपना दैनिक भत्ता पाने के हकदार है।
- (ए) यदि यात्रा हवाई मार्ग से की जाती है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए हवाई यात्रा भाडे. के 1-(के बराबर धनराशि।
- (बी) यदि यात्रा या उसका कोई भाग रेल या हवाई मार्ग से नहीं की जा सकती हो।
 - (i) जहाँ यात्रा या उसका कोई भाग स्टीमर से किया जाए तो स्टीमर में उच्चतम श्रेणी की ऐसी प्रत्येक यात्रा या उसके किसी भाग के लिए भाड़े के (आहार रहित) 1-3/5 के बराबर की धनराशि अथवा, यदि नियमित स्टीमर सेवा निद्यमान न हो तो ऐसी यात्रा अथवा उसके किसी भाग के लिए ऐसी धनराशि जैसा कि संसद अधिनियम, 1945 के वेतन, भत्ते और पेंशन की धारा 9 के अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित हो।
 - (ii) जहाँ यात्रा या उसका कोई भाग सड़क मार्ग से किया जाए तो ऐसी यात्रा या उसके किसी भाग के लिए 16 रु. (सोलह रुपये मात्र) प्रति किलोमीटर की दर से रोड माइलेज (सड़क मील भत्ता)
 - (iii) आगे पुनः यह कि जब कोई सदस्य दिल्ली में सड़क मार्ग से हवाई अड्डे से और हवाई अड्डे तक यात्रा करता है तो ऐसी प्रत्येक यात्रा के लिए न्यूनतम रु. 120/- (एक सौ बीस रुपये मात्र) भुगतान किया जाएगा।
- 10.4.7 आउट ऑफ पाकेट भत्ता (यथा बैठक स्थल एवं अपने निवास स्थान से निकटस्थ रेल स्टेशन एवं उसी प्रकार वापसी के बीच इकहरी प्रथम श्रेणी भाड़ा और इकहरी द्वितीय श्रेणी

भाड़ा के समतुल्य राशि) संसद सदस्य द्वारा की गयी वास्तविक खर्च की पूर्ति तक सीमित होगी। इस उद्देश्य हेतु संसद सदस्य के दावे में निम्नलिखित समुचित प्रमाण पत्र संलग्न होगा।

“ प्रमाणित किया जाता है कि क्षे. रे. उ. प. स. के सदस्य के रूप में कर्तव्य निर्वाह में मेरे द्वारा किया गया वास्तविक व्यय जिसके लिए यात्रा भत्ता/परिवर्तन भत्ता का इस बिल में दावा किया गया है, वह दावा की गयी राशि से कम नहीं था।”

संसद सदस्य का हस्ताक्षर

104.8 उपर्युक्त नियमों के तहत जहाँ वास्तविक खर्च की राशि उच्चतम देय राशि की अपेक्षा कम हो तो भत्ते की राशि को वास्तविक खर्च की राशि तक कम कर दी जाय जिसे पैरा 10.4.7 में उल्लेख के अनुसार प्रमाणित किया जा सकता है।

104.9 संसद सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य इस समिति की बैठक आदि के संबंध में उनके द्वारा वास्तविक रूप में की गयी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता के पात्र हैं।

10.4.9.1 संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद के सदन के सत्र में भाग लेने के उद्देश्य से अथवा किसी समिति की बैठक अथवा सदस्य के रूप में अपनी ड्यूटी से संबद्ध किसी अन्य कार्य को करने के लिए भारत में उनके द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिए उनके सामान्य निवास स्थान से उस स्थान तक, जहाँ अथवा बैठक आयोजित होनी है अथवा अन्य कार्य सम्पादित किए जाने हैं और ऐसे स्थान से सामान्य निवास तक वापसी यात्रा के लिए भुगतान किया जाएगा।

10.4.9.2 समिति की बैठक आदि के स्थान तक संसद/राज्य विधान मंडल की बैठक के स्थान से और वापसी यात्रा हेतु, यदि संसद/राज्य विधान मंडल के सत्र में भाग लेने के समय वहाँ से बैठक में जाने और वहाँ से वापसी यात्रा की जाए।

11.0 अनुपालन के लिए मार्गदर्शन :

11.1 अधिसूचित गैर-सरकारी समितियों के सदस्यों के पदनाम जो उनके पत्र शीर्ष लेटर हेड/विजिटिंग कार्ड आदि पर मुद्रित हों वे पूरी तरह से उनके नामांकन पत्र के अनुसार होने चाहिए।

11.2 उन्हें अपने पत्र शीर्ष (लेटर हेड) स्टैट्स, क्रेस्ट्स, बैजें, हाउस फ्लैग या अन्य उद्देश्य हेतु सरकारी अनुमति के बिना सरकारी प्रतीकों के उपयोग की अनुमति नहीं है।

12.0 सदस्यता का निरस्तीकरण :

12.1 इस आशय की सूचना मिलने पर कि किसी सदस्य/सदस्यों के खिलाफ न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है या कोई सदस्य आपराधिक कार्यवाही में विधि न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों की सदस्यता सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करके निरस्त कर दी जाएगी।

12.2 सदस्य/सदस्यों की ओर से की गई कोई कार्रवाई रेलवे के हित में नुकसान देय पायी जाने पर उनकी सदस्यता/सदस्यताएँ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जप्त कर ली जाएगी।

13.0 माननीय संसद सदस्यों/विधायकों/विधान परिषद के सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति।

13.1 वैसे माननीय सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य जो जेड.आर.यू.सी.सी. समिति के अवधि के पहले ही संसद सदस्य/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्य नहीं रह जाएंगे। उनकी सदस्यता समाप्त हो जायगी।

5.0 चुनाव :

- 5.1 प्रत्येक अवधि के लिए रा.रे.उ.प.स. (एन.आर.यू.सी.सी.) में प्रतिनिधि भेजने के लिए गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होगा। समिति पूर्णरूपेण गठित होने के बाद ही इस प्रकार का चुनाव होना चाहिए।
- 5.1.1 रा. रे. उ. प. स. के चुनाव तभी होंगे जब प्रत्येक म.रे.उ.प.स. से चुनाव द्वारा अपना एक-एक प्रतिनिधि क्षे. रे. उ. प. स. में भेज दिया गया हो।
- 5.2 पैरा 2.7.2 में वर्गीकृत गैर-सरकारी सदस्य ही रा. रे. उ. प. स. एवं उप रे. उ. प. स. में प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षे. रे. उ. प. स. के चुनाव में खड़ा होंगे।
- 5.2.1 केवल गैर-सरकारी सदस्य ही उपर्युक्त उद्देश्य के लिए मतदान के योग्य होंगे।
- 5.2.2 अन्य सदस्यों द्वारा विधिवत् प्रस्तावित एवं अनुशंसित इच्छुक सदस्य द्वारा ही रा.रे.उ.प.स. के लिए चुने जाने हेतु नामांकन पत्र भरे जायेंगे।
- 5.2.3 कोई भी सदस्य, जो स्वयं चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हो, इसी उद्देश्य के लिए किसी एक दूसरे सदस्य का प्रस्ताव/अनुशंसा कर सकता है।
- 5.2.4 प्रक्रिया संबंधी हुई त्रुटि जैसा कि पैरा 5.2.2 एवं 5.2.3 में उल्लिखित है, यदि नामांकन पत्र जाँच करते समय पता चलता है तो नामांकन रद्द माना जायेगा।
- 5.3.1 माननीय संसद सदस्य, विभिन्न राज्यों के माननीय विधान सभा सदस्य जो किसी रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शकर्ता समिति यथा क्षे.र.उ.प.रा. एवं एन.आर.यू.सी.सी. में चुने जाने के हकदार नहीं होंगे, जिसमें उनके सीधे नामांकन के लिए पहले से ही प्रावधान है।
- 5.4 इस उद्देश्य के लिए चुनाव संपन्न कराने हेतु अध्यक्ष, पहले ही पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए किसी एक अधिकारी को भी नियुक्त करेगा।
- 5.4.1 मतदान का परिणाम अनिणित रहने पर समिति के अध्यक्ष चुनाव को निर्णायक बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।

पूर्व मध्य रेल
क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य
अवधि 01.02.2021 से 31.01.2023 तक

स्थिति दिनांक 25.10.2021 तक

क्रम सं०	परिचय पत्र सं.	नाम एवं पता	संवर्ग	संस्थान
1.	—	श्री अजय निषाद, पताचार का पता 197, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली 110001 फोन : 011-23094115, 23094125(फै.), 09013869973 (मो.) स्थायी पता, निषाद भवन, कच्ची पक्की चौक, मुजफ्फरपुर, जिला — वैशाली, 844101, बिहार फोन : 0621-2273045, 09013869973 (मो.)	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित
2.	—	श्री छेदी पासवान, पताचार का पता 07, बलवन्त राय मेहता लेन, के. जी. मार्ग के पास, नई दिल्ली 110001 फोन : 011-23782092, 09013869992 (मो.) स्थायी पता, ग्राम एवं डाक — तकिया बाजार (सासाराम), जिला — रोहतास, सासाराम बिहार 821113 फोन : 06184-221102, 09934774400, 09013869992 (मो.)	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित
3.	—	श्री जयंत सिन्हा, पताचार का पता 20, तुगलक क्रिसेन्ट, नई दिल्ली 110011 फोन : 011-23013798, 09811716444 (मो.) स्थायी पता, 76-ए, हुपद, ग्राम — हरहद, पीओ — मुफस्सिल, जिला— हजारीबाग, 825301, झारखण्ड 09811716444 (मो.)	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित
4.	—	श्री पशुपति नाथ सिंह, पताचार का पता 12, विन्डसर प्लेस, नई दिल्ली 110001, फोन : 011-23782512, 23782666 (फै.) 9013180201 (मो.) स्थायी पता, अनुग्रह नगर, धनसार, जिला — धनबाद, झारखण्ड 828106 फोन : 0326-2307544, 09431115697 (मो.)	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित

क्रम सं०	परिचय पत्र सं.	नाम एवं पता	संवर्ग	संस्थान
5.	—	श्रीमती रमा देवी, पताचार का पता 30-ए, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली - 110001 फोन : 011-23354241, 9013180124 (मो.) स्थायी पता, राम बृज भवन, ब्रम्हपुरा, कृष्णा टोली, रामा बृज बिहारी गली, मुजफ्फरपुर 842003, बिहार फोन : 0612-2260164, 09431240750 (मो.)	माननीया सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित
6.	—	श्री प्रिंस राज, पताचार का पता 18, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110001 फोन : 011-23782526, 9013869688 (मो.) स्थायी पता, मंत्री जी टोला, ग्राम + पीओ - शहरबन्नी, थाना - अलौली, जिला - खगड़िया, बिहार 848203 फोन : 09013869688 (मो.)	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित
7.	—	श्री कौशलेन्द्र कुमार, पताचार का पता 47-49, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली - 110011 फोन : 011-23795312, 9013180187, 9711062731 (मो.) स्थायी पता, गाँव- हैदरचक, डाकघर-खोरामपुर, थाना-इसलामपुर, जिला - नालन्दा, बिहार फोन : 06122-310011, 09013180187, 9334675322 (मो.)	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित
8.	—	श्री सतीश चन्द्र दुबे, पताचार का पता 12, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली - 110001 फोन : 011-23092415, 23092363, 9013869959 स्थायी पता, ग्राम -हरसरी, पोस्ट - नरकटियागंज, थाना - शिकारपुर, जिला - पश्चिम चंपारण, 845455, 9431809721 (मो.)	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित
9.	—	श्री विवेक ठाकुर, स्थायी पता, उमा कम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 800001 9811607372(PP), 9431016360	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित

क्रम सं०	परिचय पत्र सं.	नाम एवं पता	संवर्ग	संस्थान
10.	—	श्री राम नाथ ठाकुर, पताचार का पता फ्लैट नं. 301, स्वर्ण जयन्ती सदन डिलक्स, डॉ. बी. डी. मार्ग, नई दिल्ली — 110001 फोन : 011-23708208, 23328038, 21430552, 9013181028 स्थायी पता, ग्राम + डाकघर — कर्पूरी ग्राम, जिला — समस्तीपुर, 848129 फोन : 06274-281200, 9431480504 (मो.)	माननीय सांसद	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनोनित
11.	1.	श्री मदन गोपाल अग्रवाल, राजेन्द्र नगर, हाउस नं. एम/23, रोड नं. 03, पटना — 800016 मो. — 9334117101 email — madan2009patna@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
12.	2.	श्री किशोर कुमार सिंह, पवित्री यदुनन्दन स्मृति निवास, शेखपुरा बगीचा/दुर्गा आश्रम गली, माण्डवी अपार्टमेन्ट के पीछे, पो0 भेंटनरी कॉलेज, थाना—शास्त्री नगर पटना — 14, बिहार मो. — 9431091682, 9868367224 email — kishorkumarsingh72@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
13.	3.	श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, द्वारा श्री सुभाष चन्द्र सिंह, राधालय के सामने, रेलवे कॉलोनी, यदुवंशी नगर, दीघा, पटना — 800011 मो. — 9608250498 email — premprakash0728@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
14.	4.	श्री प्रेम कुमार, मोहल्ला—पोखड़िया, (सीताश्री भवन), मकान नं. — 90, वार्ड नं. 37, थाना — नगर थाना, पोस्ट + जिला — बेगूसराय बिहार — 851101 मो. — 9431211338, 7782033777 email — premkumar25.nov@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
15	5.	श्री चन्द्रकांत विश्वनाथ इंगले, बीसी1/71, रिफाइनरी टाउनशिप, बेगूसराय, बिहार 851117 मो. — 06243275403, 9102842019, email — englecv@indianoil.in	प्रिसिपल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड ट्रेड एसोसिएशन	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, बरौनी

क्रम सं०	परिचय पत्र सं.	नाम एवं पता	संवर्ग	संस्थान
16	6.	श्री बिरेंद्र कुमार यादव, शांति भवन, निकट गणेश पेट्रोल पम्प, राजग्राउण्ड, झरिया, धनबाद, झारखण्ड 828111 मो. — 9431538079	विकलांग संघ	भारतीय विकलांग संघ, झरिया
17	7.	श्री एस० डी० संजय, 201, वेंकटेश अपार्टमेन्ट, भूमि विकास बैंक के बगल में, बुद्ध मार्ग, पटना, बिहार 800001 मो. — 0612—2234403, 9835024488, 9334129925 Email – sdsanjayasg@gmail.com	महाप्रबंधक के विशेष हित	महाप्रबंधक के विशेष हित
18	8.	श्री नन्द किशोर प्रसाद, नन्द जी निवास, ग्राम + पोस्ट — टेहटा, जहानाबाद, बिहार 804427 मो. — 9931883069 email – nkprasadbob@gmail.com	रजिस्टर्ड पैसेन्जर्स एसोसिएशन	बिहार दैनिक यात्री संघ
19	9.	श्री अशोक कुमार जायसवाल, मकान नं० 53, ईस्टर्न बाजार, राममन्दिर, मुगलसराय, चन्दौली, यूपी 232101 मो. — 9794306520	प्रिंसिपल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड ट्रेड एसोसिएशन	मुगलसराय व्यापार प्रतिनिधि मंडल
20	10.	श्री कृष्ण कुमार केजरीवाल, केजरीवाल एण्ड कम्पनी, सूतापट्टी, मुजफ्फरपुर बिहार 842001 मो. — 0621—2245346, 9431239345 email – balajeemuz@gmail.com	रजिस्टर्ड पैसेन्जर्स एसोसिएशन	उत्तर बिहार यात्री संघ
21	11.	श्री अवधेश कुमार, पुत्र श्री नन्द कुमार, मो० — भद्रघाट, ईदगाह रोड, पो० — गुलजारबाग, थाना — आलमगंज, पटना, बिहार 800007 मो. — 9334398416 email – awadheshkarate@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
22	12.	श्री विजय शंकर चौधरी, लक्ष्मण सदन, वार्ड नं. — 07, मोहल्ला — चकला निर्मली, थाना + पो०+ जिला — सुपौल बिहार 852131 मो. — 06473—223353, 9431244001, 9835440440	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित

क्रम सं०	परिचय पत्र सं.	नाम एवं पता	संवर्ग	संस्थान
23	13.	श्री बच्चा यादव, ग्राम- राहड़ दियर, मो. - सोनपुर, थाना - सोनपुर, जिला - सारण, बिहार 841101 मो. - 9835252998 email - bacha.ray12345@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
24	14.	श्री राज कुमार राम, ग्राम + पोस्ट - बरदहियां, थाना - मढ़ौड़ा, जिला - सारण, बिहार 841419 मो. - 9262216620 email - kumarRazindian@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
25	15	श्री राजीव रंजन, द्वारा श्री नर्मदेश्वर शर्मा, शिवपुरी रोड नं. 02, पो0 + थाना - शास्त्री नगर, राजधानी गैस गोदाम के पास, पटना 800023 मो. - 6287064666, 6287078888 email - rajeevray314@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
26	16	श्री आनन्द, सिहौता, महाराजगंज, सिवान, 841238 मो. - 9430853807 email-shipvsinghanand1688@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
27	17	डॉ. राघवेन्द्र प्रताप, बैंक ऑफ बड़ौदा कैम्पस, स्वराजपुरी रोड, गया, बिहार 823001 मो. - 6203075188	पैसेन्जर्स राईट प्रोटेक्शन फोरम	पैसेन्जर्स राईट प्रोटेक्शन फोरम
28	18	श्री कन्हैया किशोर, सुपुत्र - श्री नन्द किशोर प्रसाद, मुहल्ला - उपाध्याय लेन, पश्चिमी लोहानीपुर, कदमकुँआ, पटना 800003 मो. - 9835699010, 8210215149	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
29	19	श्री राकेश कुमार सिंह, ग्राम - अंवारी, वार्ड नं. 16, थाना + पोस्ट - मोहनियां, जिला - कैमूर, बिहार 821109मो. - 8969696006, 7004181075	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
30	20	श्री रंजन कुमार गौतम, अशोक नगर, कंकड़बाग, रोड नं० - 7/बी, पोस्ट - लोहियानगर, थाना - कंकड़बाग, पटना-800020, बिहार मे०-9304509595]email- ranjan2jnu@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित

क्रम सं०	परिचय पत्र सं.	नाम एवं पता	संवर्ग	संस्थान
31	21	श्री मुरारी प्रसाद, रोड नं० 01, क्वार्टर नं०-01, गर्दनीबाग, पटना 800001, बिहार मो. — 7004128211 email- muraritaregna@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
32	22	श्री संजय कुमार, सालमपुर डुमरा, भक्तिन गली, पोस्ट — बी.वी. कॉलेज, खम्बा संख्या 39 के सामने, पटना 800014 मो. — 9430000399, 9470000065 email- sanjaykumarraibjp@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
33	23	श्री बिनय कुमार चौबे, ग्राम + पो० — हासनदाग, थाना —मेराल, जिला — गढ़वा, वर्तमान पता : नेहरू नगर, चिनियाँ रोड, गढ़वा, 822114 मो.— 9431365377, 8434334849	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
34	24	डॉ. मनोज कुमार सिंह, ग्राम — रतवारा, पोस्ट — सुस्ता, थाना — सदर, जिला — मुजफ्फरपुर, बिहार 842002 मो. — 9546744158, 9471928895 email-manojkumarsingh5965@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
35	25	श्री अजय कुमार पोद्दार, द्वारा पोद्दार सिक्क्यूरिटी प्लस, लालबाघ, टाउन हॉल के पास, दरभंगा, बिहार 846004 मो. — 7295033183, 8987388425 email- ajay.podddar@yahooemail.com	प्रिसिपल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड ट्रेड एसोसिएशन	दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज
36	26	श्री संजय कुमार, दुर्गा वाणी दूकान के सामने, वार्ड नं. 15, नारायण पथ, कोर्ट-बाजार, बाश्रुश्री चौक, सीतामढ़ी, 843302, बिहार मो. 9431285851	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
37	27	श्री अर्जुन भारतीय, ग्राम-बन्धु-बरवा, पोस्ट — रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण, 845433 मो. — 9939388154	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
38	28	श्री प्रेम कुमार सिंह, रेडमा, ओभरब्रिज के पास, मेदनीनगर (डालटनगंज), पलामू, 822101 मो. — 9955365269, 9431386353 email-premsingh002bjp@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित

क्रम सं०	परिचय पत्र सं.	नाम एवं पता	संवर्ग	संस्थान
39	29	श्री लाल बहादुर सिंह, अनगढ़ रोड, टेलीफोन ऑफिस के पास, मीरजापुर, उ० प्र०, 231001 मो. — 9415391403, 7007496768,	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
40	30	श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, एन. एम. इंटरप्राइजेज, श्री राम भवन, एकजीविशन रोड, पटना — 800001 मो. — 9334233649, 7257004477 (वा.)	प्रिंसिपल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड ट्रेड एसोसिएशन	बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज
41	31	श्री अमरेन्द्र कुमार अमर, रोड नं. 4, दीपशिखा — विष्णु सिनेमा रोड, विश्वनाथनगर, बेगूसराय, बिहार 851101 9431251140, 9199936373 email-amrendraamarbqs8888@gmail.com	केन्द्रीय मंत्री के प्रतिनिधि	श्री गिरिराज सिंह, माननीय केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार
42	32	श्री कुमार विजय पासवान, ग्राम — सरथुआ, पो० — तोप, थाना शाहजहांपुर, जिला — पटना बिहार 801304 9431649528, 9546855235 email-kvijay76s@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
43	33	श्री कुमार अमरेन्द्र, कम्पेड, डेयरी डेवलपमेन्ट कम्प्लेक्स, पीओ — बिहार वेटेनरी कॉलेज, पटना 800014 06122228306 (एक्स 123), 9473199135 email-amarendra@sudha.coop	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	बिहार स्टेट मिल्क कॉ-ऑपरेटिव लिमिटेड (कम्पेड)
44	34	श्री निर्मल झुनझुनवाला, झारखण्ड चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, चैम्बर भवन, मेन रोड, पो० — रांची, झारखण्ड, 834001 मो.—9709134644 email-nirmal.grd@gmail.com	चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज	झारखण्ड चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज
45	35	श्री दिलीप शाह, मेन मार्केट बिलोजी बैढ़न, जिला — सिंगरौली, म० प्र० 486886 मो० — 9826568003 email-shahdileepkumar123@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
46	36	श्री पिन्दु कुमार सिंह, बाबूडीह, जिला स्कूल के पास, पीओ — बी. पॉलीटेक्निक, थाना एवं जिला — धनबाद, झारखण्ड 828130 मो. — 9006313060, 9304743036	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित

क्रम सं०	परिचय पत्र सं.	नाम एवं पता	संवर्ग	संस्थान
47	37	श्रीमती सजल झा, शेखपुरा बगीचा, सुधा भवन, पो०-बी० भी० कॉलेज, पटना - 800014 मो. - 8986459930 email-sajaljhabjp@yahoo.in	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
48	38	श्री विकास कुमार, ग्राम - अतरदह, वार्ड नं. 31, कच्ची-पक्की रोड, पीओ - रमना, थाना - सदर, जिला - मुजफ्फरपुर बिहार - 842002 मो० - 9113796457, 8507173176 email-vikaskumargupta907@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
49	39	श्री मनीष कुमार सिन्हा, सुभाष नगर, लेन नं. 07, पीओ - डालमियानगर, थाना - डेहरी, जिला -रोहतास, बिहार 821305 मो०- 9431058208, email-manish.ecrail@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
50	40	श्री राम सुन्दर चौधरी, 3072/1बी, गली नं. 10, रंजीत नगर, दक्षिण पटेल नगर, लैंड मार्क - बारात घर दिल्ली 110008 मो. - 9910180075, 6204651303 email-starmadhu249@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
51	41	श्री सुभाष चन्द्र जोशी, पिता श्री स्व० रघुनन्दन प्रसाद, माल गोदाम रोड, खगड़िया वार्ड नं. 2, जिला - खगड़िया, बिहार 851204 मो. - 9430235738, 7858061531 email-subhashjoshi.1may@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
52	42	श्री शिवपूजन राम, ग्राम - मऊपारा पो०-देवकली, जिला - गाजीपुर पिनकोड - 233306 मो. - 9415867176, 9198502076 email-sprambjp1234@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
53	43	श्री राणा प्रताप सिंह, गली सं० 03, जयमाता दी मेडिकल के पास, कॉलेज गेट, चरित्रवन, बक्सर, बिहार 802101, मो. - 9470007240, 9135385939 email-ranapratapsinghbxr4@gmail.com	केन्द्रीय मंत्री के प्रतिनिधि	श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार

क्रम सं०	परिचय पत्र सं.	नाम एवं पता	संवर्ग	संस्थान
54	44	श्री राजीव कुमार, मिस्कट मोहल्ला, ग्यान बाबू चौक के पास, एसबीआई एटीएम गली, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार 845401 मो. – 9934755878, email-rk2273151@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
55	45	श्री चन्द्रशेखर आजाद, 40, रोशन बाग, दयालबाग, जिला– आगरा, यूपी 282005 मो. – 8409017030 email-csazad09@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित
56	46	श्री मुकेश कुमार नन्दन, नंदन भवन, बाकरगंज, गोला रोड, पटना 800004 मो. – 9386370191, email-nandanghee@gmail.com	रेल मंत्री के विशेष हित	रेल मंत्री के विशेष हित

जेड0 आर0 यू0 सी0 सी0 का गठन

- वर्तमान समिति का गठन रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 01.02.2021 द्वारा किया गया।
- समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होता है।
- इस समिति की वैधता 01.02.2021 से 31.01.2023 तक है।
- यह इस समिति की प्रथम बैठक है।
- पिछली बैठक 30.08.2019 को आयोजित की गई थी।

जेड0आर0यू0सी0सी0 का कार्य

- समिति के क्षेत्र में यात्री सुविधाओं का प्रावधान।
- समिति के क्षेत्राधिकार में नए स्टेशनों की शुरुआत के संबंध में प्रस्ताव।
- समय-सारणी की व्यवस्था।
- रेलवे द्वारा दी जाने वाली यात्री सेवा एवं सुविधाओं में सुधार।
- आम लोगों के हित से संबंधित कोई मामला या जन सुविधाओं या ऐसे मामले जिससे यात्री सेवा एवं सुविधाएं प्रभावित हो रही हों।
- मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के रिपोर्ट से उठे मामले जो कि मंडल समिति द्वारा विचार करने के लिए विशेष रूप से अग्रसारित किया गया हो।
- प्रशासन, रेल मंत्रालय या राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद द्वारा विचार के लिए संदर्भित किए गए मामले।

पूर्व मध्य रेल: एक परिचय

पूर्व मध्य रेल प्रणाली मानचित्र



परिचय

- ❖ दिनांक 01 अक्टूबर 2002 को पाँच मंडलों को मिलाकर पूर्व मध्य रेल अस्तित्व में आया ।
- ❖ दानापुर, पं.दीनदयाल उपाध्याय (पूर्व में मुगलसराय) एवं धनबाद (गंगा नदी के दक्षिण) पूर्व रेलवे (मुख्यालय कोलकाता) के तीन मंडलों को शामिल किया गया ।
- ❖ सोनपुर, समस्तीपुर (गंगा नदी के उत्तर) उत्तर पूर्व रेलवे (मुख्यालय गोरखपुर) के दो मंडलों को शामिल किया गया ।

भौगोलिक विस्तार

सेवित संसदीय क्षेत्र : 46	बिहार	- 35
	झारखंड	- 07
	उत्तर प्रदेश	- 03
	मध्य प्रदेश	- 01

सेवित जिले : 46	बिहार	- 32
	झारखंड	- 10
	उत्तर प्रदेश	- 03
	मध्य प्रदेश	- 01

सेवित संसदीय क्षेत्र

- बिहार** : आरा, पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, बेगुसराय, मुंगेर, जमुई, नालंदा, जहानाबाद, सारण, हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, सुपौल, पूर्णियां, वाल्मिकी नगर, झंझारपुर, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चम्पारण, प. चम्पारण, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सासाराम, गया, औरंगाबाद, कराकाट, बक्सर, शिवहर, नवादा, मधेपुरा
- झारखंड** : पलामू, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडिह, कोडरमा, रांची,
- उत्तर प्रदेश** : गाजीपुर, चंदौली, रॉबर्टसगंज
- मध्य प्रदेश** : सीधी

सेवित जिले

- बिहार** : पटना, वैशाली, जहानाबाद, बक्सर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सुपौल, सहरसा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, गया, औरंगाबाद, अररिया, पूर्णियां, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, जमुई, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, मधेपुरा, सारण
- झारखंड** : बोकारो, चतरा, धनबाद, गढ़वा, गिरिडिह, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, पलामू, रांची
- उत्तर प्रदेश** : चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र
- मध्य प्रदेश** : सिंगरौली

भौगोलिक विस्तार

31.03.2021 तक

कुल रूट किलोमीटर:

बड़ी लाइन – 4053.661

छोटी लाइन – 161.261

कुल 4214.922

कुल विद्युतीकृत रूट किलोमीटर – 3520.991

राज्यवार रूट / ट्रैक किमी

31.03.2021 तक

राज्य	बड़ी लाइन		छोटी लाइन		कुल	
	रूट किमी	ट्रैक किमी	रूट किमी	ट्रैक किमी	रूट किमी	ट्रैक किमी
बिहार	2699.922	3927.015	161.261	161.261	2861.183	3927.015
झारखंड	1022.481	1633.986	---	---	1022.481	1633.986
उत्तर प्रदेश	305.408	467.500	----	----	305.408	467.500
मध्य प्रदेश	25.85	25.85	----	----	25.85	25.85
कुल	4053.661	6054.351	161.261	161.261	4214.922	6054.351

मंडलवार रूट / ट्रैक किमी

31.03.2021 तक

मंडल	बड़ी लाईन		छोटी लाईन		कुल	
	रूट किमी	ट्रैक किमी	रूट किमी	ट्रैक किमी	रूट किमी	ट्रैक किमी
सोनपुर	523.70	939.903	-	-	523.70	939.903
समस्तीपुर	992.145	1017.132	161.261	-	1153.304	1017.132
दानापुर	907.483	1395.703	-	-	907.483	1395.703
पं.दीन दयाल उपाध्याय	414.774	859.784	-	-	414.774	859.784
धनबाद	1215.661	1841.829	-	-	1215.661	1841.829
कुल	4053.661	6054.351	161.261	161.261	4214.922	6054.351

मंडलवार विद्युतीकृत रूट किमी.

31.03.2021 तक

मंडल	विद्युतीकृत रूट किमी.	प्रतिशत
सोनपुर	493.480	94.23%
समस्तीपुर	532.300	46.15%
दानापुर	871.283	96.01%
पं.दीन दयाल उपाध्याय	414.774	100.00%
धनबाद	1209.154	99.46%
कुल	3520.991	83.54%

पूर्व मध्य रेल के प्रधान विभागाध्यक्ष

श्री अनुप शर्मा
श्री नितिन कुमार
मुख्यालय

महाप्रबंधक सह अध्यक्ष / जेड.आर.यू.सी.सी
उप महाप्रबंधक/सा0 सह सचिव / जेड.आर.यू.सी.सी

नाम (सर्वश्री/श्रीमती)

पदनाम

- | | |
|------------------------|--|
| 1. अशोक कुमार मिश्र | अपर महाप्रबंधक सह प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर |
| 2. सुजीत कुमार मिश्रा | वरिष्ठ उप महाप्रबंधक |
| 3. प्रमोद कुमार गुप्ता | प्रमुख मुख्य इंजीनियर |
| 4. संजीव कुमार शर्मा | प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक |
| 5. एस0 के0 झा | प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक |
| 6. पवन कुमार गोयल | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि./उ. |
| 7. दिनेश कुमार | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि./द. |
| 8. राजेश कुमार | प्रधान मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर |
| 9. रमेश चन्द्र | प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर |

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 10. जे0के0पी0सिंह | प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी |
| 11. मधुकर सिन्हा | प्रधान वित्त सलाहकार |
| 12. एस0 मयंक | प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त |
| 13. डॉ0जी0 एन0 पाण्डा | प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक |
| 14. शिव कुमार प्रसाद | प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी |
| 15. अमन राज | महाप्रबंधक के सचिव |
| 16. राजेश कुमार | मुख्य जनसंपर्क अधिकारी |

मंडल

नाम (सर्वश्री)

पदनाम

- | | |
|------------------------|--|
| 1. अलोक अग्रवाल | मंडल रेल प्रबंधक, समस्तीपुर |
| 2. प्रभात कुमार | मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर |
| 3. नीलमणी | मंडल रेल प्रबंधक, सोनपुर |
| 4. राजेश कुमार पाण्डेय | मंडल रेल प्रबंधक, पं. दीनदयाल उपाध्याय |
| 5. आशीष बंसल | मंडल रेल प्रबंधक, धनबाद |

यात्री सेवा

पूर्व मध्य रेल में विभिन्न श्रेणी के स्टेशन

मंडल	एनएसजी -1	एनएसजी -2	एनएसजी -3	एनएसजी -4	एनएसजी -5	एनएसजी -6	एचजी-1	एचजी-2	एचजी-3	कुल
धनबाद	0	1	1	4	24	76	0	14	26	146
दानापुर	1	1	5	12	21	58	1	18	103	220
पं.दीनदयाल उपाध्याय	0	2	2	2	8	29	0	5	11	59
सोनपुर	0	1	4	3	19	43	0	3	21	94
समस्तीपुर	0	1	7	5	24	95	0	18	52	202
कुल	1	6	19	26	96	301	1	58	213	721

- पूर्व मध्य रेल में कुल स्टेशन -721
- एनएसजी-1 श्रेणी स्टेशन - पटना जं.

पटना जंक्शन



राजेन्द्रनगर टर्मिनल



इंडियन ग्रीन बुलडिंग कॉन्सिल का ग्रीन प्रमाण पत्र के तहत
सिलवर रेटिंग ग्रीन रेलवे स्टेशन— राजेन्द्रनगर टर्मिनल एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय

राजेन्द्र नगर टर्मिनल



पं० दीन दयाल उपाध्याय मंडल



पूर्व मध्य रेल में विभिन्न श्रेणी के स्टेशन

स्टेशनों की श्रेणी	वार्षिक यात्री आय (रु. में)	वार्षिक निर्गत यात्रियों की संख्या
एनएसजी-1	500 करोड़ से ज्यादा	20 मिलियन से ज्यादा
एनएसजी-2	100 से 500 करोड़	10 से 20 मिलियन
एनएसजी-3	20 से 100 करोड़	05 से 10 मिलियन
एनएसजी-4	10 से 20 करोड़	02 से 05 मिलियन
एनएसजी-5	01 से 10 करोड़	01 से 02 मिलियन
एनएसजी-6	01 करोड़ तक	01 मिलियन तक
	वार्षिक यात्री आय (रु. में)	वार्षिक निर्गत यात्रियों की संख्या
एचजी-1	50 लाख से ज्यादा	03 लाख से ज्यादा
एचजी-2	05 लाख से 50 लाख	01 लाख से 03 लाख
एचजी-3	05 लाख तक	01 लाख तक

पूर्व मध्य रेल के एनएसजी-1, एनएसजी-2 एवं एनएसजी-3 श्रेणी के स्टेशन

मंडल	एनएसजी-1	एनएसजी-2	एनएसजी-3
धनबाद	—	धनबाद जं.	कोडरमा
दानापुर	पटना जं.	पाटलिपुत्र	बक्सर, दानापुर, राजेन्द्र नगर (ट), आरा जं. एवं किउल जं.
पं. दीन दयाल उपाध्याय	—	गया जं. एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय जं.	डेहरी-ऑन-सोन एवं सासाराम जं.
सोनपुर	—	मुजफ्फरपुर	बरौनी जं., हाजीपुर जं., खगड़िया जं. एवं सोनपुर
समस्तीपुर	—	दरभंगा	सहरसा जं., समस्तीपुर जं., बापुधाम मोतिहारी, बेतिया, जयनगर, मधुबनी एवं रक्सौल जं.
उपरोक्त स्टेशन की श्रेणी 2016-17 की यात्री आय एवं यात्रियों की संख्या (जो भी ज्यादा हो) के आधार पर है ।			

पूर्व मध्य रेल के आदर्श, मॉडल एवं माडर्न स्टेशन

मंडल	आदर्श स्टेशनों की संख्या	मॉडल स्टेशनों की संख्या	माडर्न स्टेशनों की संख्या
धनबाद	14	09	10
दानापुर	14	20	11
पं. दीन दयाल उपाध्याय	5	06	10
सोनपुर	9	09	09
समस्तीपुर	16	11	10
कुल	58	55	50

हाजीपुर जंक्शन



मुजफ्फरपुर जंक्शन



आदर्श स्टेशनों की सूची

मंडल	स्टेशन का नाम	स्टेशनों की संख्या
धनबाद	गोमो, पारसनाथ, सिंगरौली, फुसरो, चन्द्रपुरा, डाल्टेनगंज, धनबाद, गढ़वा रोड, टोरी, कतरासगढ़, गोमिया, बरवाडीह, लातेहार, बोकारो थर्मल	14
दानापुर	पटना साहिब, बिहार शरीफ, जहानाबाद, दिलदार नगर, आरा, नवादा, शेखपुरा, वारसलीगंज, हिसुआ, डुमरांव, टेहटा, बक्सर, जमुई, मखदुमपुर	14
पं. दीन दयाल उपाध्याय	सासाराम, चंदौली मझवार, रफीगंज, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., अनुग्रह नारायण रोड	5
सोनपुर	नौगछिया, मानसी, बरौनी, थाना बिहपुर, शाहपुरपटोरी, खरीक, बेगुसराय, महेशखुंट, नारायणपुर	9
समस्तीपुर	मधुबनी, सीतामढ़ी, बैरगनिया, गढ़पुरा, घोड़ासहन, हसनपुर रोड, जनकपुर रोड, सलौना, सिमरी बख्तियारपुर, सुपौल, बाजपट्टी, डुमरा, नरकटियागंज, चकिया, बगहा, हरिनगर	16
	कुल	58

मॉडल स्टेशनों की सूची

मंडल	स्टेशन का नाम	स्टेशनों की संख्या
धनबाद	धनबाद, कोडरमा, पारसनाथ, डाल्टेनगंज, बरकाकाना, रेनुकूट, सिंगरौली, चोपन, गढ़वा रोड	09
पं. दीन दयाल उपाध्याय	पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., सासाराम, गया, डेहरी-ऑन-सोन, अनुग्रह नारायण रोड, भभुआ	06
दानापुर	आरा, बक्सर, दानापुर, पटना, मोकामा, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, पटना साहिब, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, जमुई, राजेन्द्रनगर टर्मिनल, किउल, लखीसराय, झांझा, राजगीर, बाढ़, फुलवारी शरीफ, मननपुर	20
सोनपुर	हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया, सोनपुर, अक्षयवट राय नगर, नयागांव, दलसिंहसराय	09
समस्तीपुर	समस्तीपुर, दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज, सीतामढ़ी, सगौली, जनकपुर रोड, रक्सौल, सहरसा, मधुबनी	11
	कुल	55

माडर्न स्टेशनों की सूची

मंडल	स्टेशन का नाम	स्टेशनों के संख्या
धनबाद	धनबाद, कोडरमा, बरकाकाना, डाल्टेनगंज, पारसनाथ, गोमो, चंद्रपुरा, हजारीबाग रोड, गढ़वा टाउन, रेनुकूट	10
दानापुर	पटना जं., राजेन्द्रनगर टर्मिनल, आरा, बक्सर, मोकामा, दानापुर, लखीसराय, बाढ़, किउल, जमुई, डुमरांव	11
पं. दीन दयाल उपाध्याय	पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., सासाराम, गया, डेहरी-ऑन-सोन, अनुग्रह नारायण रोड, भभुआ, रफीगंज, जपला, हैदरनगर, चंदौली मझवार	10
सोनपुर	हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया, मानसी, दलसिंहसराय, नौगछिया, भगवानपुर	09
समस्तीपुर	समस्तीपुर, दरभंगा, रक्सौल, मोतिहारी, सीतामढ़ी, बेतिया, नरकटियागंज, सगौली, दौरम मधेपुरा, सहरसा	10
	कुल	50

पूर्व मध्य रेल में पुनर्विकसित किये जानेवाले स्टेशनों की सूची

मंडल	स्टेशनों के नाम	संख्या
धनबाद	धनबाद, सिंगरौली	02
दानापुर	राजेन्द्रनगर टर्मिनल	01
पंडित दीन दयाल उपाध्याय	गया जंक्शन ,पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन	02
सोनपुर	मुजफ्फरपुर जंक्शन, बेगुसराय, बरौनी जंक्शन	03
समस्तीपुर	बापूधाम मोतिहारी, सीतामढ़ी एवं दरभंगा	03
	कुल	11



बापू धाम मोतीहारी

30



पूर्व मध्य रेल में सॉफ्ट अपग्रेड के अन्तर्गत आने वाले स्टेशन

मंडल	स्टेशनों के नाम	संख्या
धनबाद	बरकाकाना	01
दानापुर	पाटलिपुत्र एवं पटना जंक्शन	02
पंडित दीन दयाल उपाध्याय	पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन	01
सोनपुर	हाजीपुर ,सोनपुर	02
समस्तीपुर	बापूधाम मोतिहारी एवं दरभंगा	02
	कुल	08

*** उन्नयन कार्य – फसाड में सुधार, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, कॉन्कोर्स का विकास, प्रतीक्षालय में सुधार

पं० दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन.



यात्री विवरण

	2020—21	2021—22 30 नवंबर, 2021 तक
प्रतिदिन औसत यात्रियों की संख्या	1.08 लाख	3.29 लाख
यात्रियों की कुल संख्या	3.94 करोड़	8.03 करोड़
प्रतिशत अंतर = (-) 83.52		(+) 620.01

यात्री विवरण 2021–22

नवंबर 2021 तक

- प्रतिदिन औसत यात्री (आरक्षित) : 1,33,552
- प्रतिदिन औसत यात्री (अनारक्षित) : 1,95,877
- प्रतिदिन औसत यात्री आय (आरक्षित) : रु 6.10 करोड़
- प्रतिदिन औसत यात्री आय (अनारक्षित) : रु 0.54 करोड़
- प्रतिदिन औसत यात्री आय : रु 6.64 करोड़

आरंभिक आय – एक दृष्टि में (2021–22) (करोड़ रुपये में)

शीर्ष	वास्तविक 2019–20	वास्तविक 2020–21	लक्ष्य 2021–22	संचयी आय 30 नवंबर, 2021 तक				
				वास्तविक 2019–20	वास्तविक 2020–21	वास्तविक 2021–22	पिछले वर्ष की तुलना में	
							अंतर	%अंतर
यात्री	2755.13	1296.67	3382.91	1948.51	543.26	1620.11	1076.85	198.22
अन्य कोचिंग	193.07	114.97	203.08	138.09	66.57	150.73	84.16	126.42
माल	16721.27	14901.01	16983.14	10562.46	8844.51	12316.20	3471.69	39.25
विविध	351.36	156.20	243.27	274.88	79.85	97.34	17.49	21.90
कुल	20020.83	16468.85	20812.40	12923.94	9534.19	14184.38	4650.19	48.77

नियमित यात्री गाड़ियां (नवंबर, 21)

प्रारंभ / समाप्त होनेवाली गाड़ियों की कुल संख्या :

मेल / एक्सप्रेस (बड़ी लाइन)

: 165 जोड़ी

यात्री गाड़ियां

: 131

जोड़ी

पूर्व मध्य रेल से गुज़रने वाली

मेल / एक्सप्रेस गाड़ियों की कुल संख्या : 138 जोड़ी

मेल / एक्सप्रेस गाड़ियों का वर्गीकरण

क्र.सं.	प्रकार	प्रारंभ / समाप्त होनेवाली गाड़ियां	पूर्व मध्य रेल से गुज़रने वाली
1.	राजधानी	01 जोड़ी	12 जोड़ी
2.	दुरंतो	01 जोड़ी	03 जोड़ी
3.	गरीब रथ	05 जोड़ी	02 जोड़ी
4.	सुपर फास्ट	41 जोड़ी	55 जोड़ी
5.	शताब्दी	.	01 जोड़ी
6.	जनशताब्दी	02 जोड़ी	.
7.	सुविधा	01 जोड़ी	.
8.	मेल एक्सप्रेस	108 जोड़ी	65 जोड़ी
9.	क्लोन	06 जोड़ी	.
	कुल योग	165 जोड़ी	138 जोड़ी

2020–21 एवं 2021–22 में दी गयी यात्री गाड़ियों की सुविधाएं

2020-21 & 2021-22 (नवंबर तक) में यात्री गाड़ियों में दी गई सुविधाएं

क्र.सं	मद	2020-21	2021-22
1.	ट्रेनों का विस्तार	03 जोड़ी	02 जोड़ी
2.	बारंबारता में वृद्धि	--	01 जोड़ी
3.	नई ट्रेनें	07 जोड़ी	04 जोड़ी
4.	संवर्धन (Augmentation)	14 जोड़ी	02 जोड़ी
5.	एलएचबी गाड़ियों की शुरुआत	02 जोड़ी	03 जोड़ी
6.	अतिरिक्त ठहराव	--	03 जोड़ी

2020–21 में ट्रेनों का मार्ग विस्तार

क्र.सं.	गाड़ी सं.	एक्सप्रेस/पैसेन्जर	से	तक	तक विस्तार किया गया
01	19039 / 19040	मेल एक्सप्रेस	बांद्रा (टी)	मुजफ्फरपुर	बरौनी
02	19037 / 19038	मेल एक्सप्रेस	बांद्रा (टी)	गोरखपुर	बरौनी
03	11061 / 11062	मेल एक्सप्रेस	लोकमान्य तिलक (टी)	दरभंगा	जयनगर

2021–22 में ट्रेनों का मार्ग विस्तार

क्र.सं.	गाड़ी सं.	एक्सप्रेस/पैसेन्जर	से	तक	तक विस्तार किया गया
01	03305 / 03306	मेल एक्सप्रेस	धनबाद	गया	डेहरी आन सोन
02	08603 / 08604	मेल एक्सप्रेस	रांची	भागलपुर	गोड्डा

2021–22 में ट्रेनों की बारंबारता में वृद्धि

क्र. सं.	गाड़ी सं.	एक्सप्रेस/पैसेन्जर	पहले (सप्ताह में)	अब
1.	04009–04010	आनंदविहार टर्मिनल– बापूधम मोतिहारी एक्सप्रेस	साप्ताहिक	द्वि-साप्ताहिक

2020-21 में नई ट्रेनों की शुरुआत

क्र.सं.	गाड़ी सं.	से	तक	एक्सप्रेस/पैसेन्जर
1	03631/03632	नटसर	फतुहा	मेमु पैसेंजर
2	05519/05520	वैशाली	सोनपुर	डेमु पैसेंजर
3	05515/05516	सहरसा	सरायगढ़	डेमु पैसेंजर
4	05505/05506	आसनपुर कुपहा	सरायगढ़	डेमु पैसेंजर
5	05507/05508	राधोपुर	सरायगढ़	डेमु पैसेंजर
6	15553/15554	जयनगर	भागलपुर	एक्सप्रेस
7	19483/19484	बरौनी	अहमदाबाद	एक्सप्रेस

2021-22 में नई ट्रेनों की शुरुआत

क्र.सं.	गाड़ी सं.	से	तक	एक्सप्रेस/पैसेन्जर
1	11427/11428	पुणे	जसीडीह	एक्सप्रेस
2	06397/06398	वास्को द गामा	जसीडीह	एक्सप्रेस
3	09435/09436	अहमदाबाद	आसनसोल	एक्सप्रेस
4	18631/18632	रांची	चोपन	एक्सप्रेस

संवर्धन (Augmentation) 2020-2021

क्र.सं.	गाड़ी सं.	गाड़ी का नाम	कोच का प्रकार
1	12393/12394	राजेंद्रनगर नईदिल्ली सम्पूर्णक्रान्ति एक्स	एसी-3 टियर-01 एसी-2 टियर-01 स्लीपर-02 बदल कर
2	13351/13352	धनबाद अल्लेप्पी एक्सप्रेस	एसी-3 टियर-01 स्लीपर-02 बदल कर
3	13287/13288	राजेंद्रनगर दुर्ग साउथ बिहार	एसी-3 टियर-02 स्लीपर-02 बदल कर
4	12521/12522	बरौनी एर्नाकुलम राप्ती सागर एक्स	एसी-3 टियर-01 स्लीपर-01 बदल कर
5	12561/12562	जयनगर नईदिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्स	एसी-3 टियर-01 स्लीपर-02 बदल कर
6	12565/12566	दरभंगा नईदिल्ली संपर्क क्रान्ति एक्स .	एसी-3 टियर-02 स्लीपर-02 बदल कर
7	22355/22356	पाटलिपुत्रा चंडीगढ़ एक्सप्रेस	एसी-2 टियर-01 स्लीपर-01 बदल कर
8	12393/12394	राजेंद्रनगर नईदिल्ली सम्पूर्णक्रान्ति एक्स	एसी-3 टियर-01 एल0एस0-01 स्लीपर-01 बदल कर एसी-2 टियर-01 बदल कर
9	12309/12310	राजेंद्रनगर नईदिल्ली राजधानी एक्स	एसी-3 टियर-02 एसी-2 टियर-02 बदल कर

संवर्धन (Augmentation)2020–2021

क्र.सं.	गाड़ी सं.	गाड़ी का नाम	कोच का प्रकार
10	22351/22352	पाटलिपुत्रा यशवंतपुर एक्सप्रेस	एल0एस0-2, एसी-3 टियर-01, एलडब्ल्यूसीबीएसी-1, स्लीपर-02 एसी-2 टियर-02 बदल कर
11	22355/22356	पाटलिपुत्रा चंडीगढ़ एक्सप्रेस	एल0एस0-02 एसी-3 टियर-01, एलडब्ल्यूसीबीएसी-1 स्लीपर-03 एसी-2 टियर-01 बदल कर
12	15227/15228	मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस	एल0एस0-02 एसी-3 टियर-01, एलडब्ल्यूएफएसी-1 स्लीपर-04 बदल कर
13	15547/15548	रक्सौल लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस	एल0एस0-04
14	13351/13352	धनबाद अल्लेप्पी एक्सप्रेस	जीएस-01 स्लीपर-05

संवर्धन (Augmentation) 2021–2022

क्र.सं.	गाड़ी सं.	गाड़ी का नाम	कोच का प्रकार
1	13351/13352	धनबाद अल्लेप्पी एक्सप्रेस	एसी-3 टियर-01
2	13347/13348	बरकाकाना-पटना पलामू एक्सप्रेस	स्लीपर-01

2020–21 में एलएचबी डिब्बों वाले गाड़ियों की शुरुआत

क्र० सं०	गाड़ी सं०	गाड़ी का नाम
1	12352 / 12351	राजेंद्र नगर – हावड़ा एक्सप्रेस
2	12545 / 12546	रक्सौल – लोकमंयातिलक टर्मिनल एक्सप्रेस

2021–22 में एलएचबी डिब्बों वाले गाड़ियों की शुरुआत

क्र० सं०	गाड़ी सं०	गाड़ी का नाम
1	03288 / 03287	राजेंद्रनगर – दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस
2	05549 / 05550	जयनगर – पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस
3	03241 / 03242	राजेंद्र नगर – बरकाकाना इंटरसिटी एक्सप्रेस

अतिरिक्त ठहराव (2021-22)

क्र. सं.	गाड़ी सं०	गाड़ी का नाम	ठहराव स्टेशन
1	03213/03214	झाझा - पटना मेमु	शहीद जितेंद्र हॉल्ट गोपालपुर
2	03265/03266	जसीडीह - पटना मेमू	शहीद जितेंद्र हॉल्ट गोपालपुर
3	12353/12354	हावड़ा- लालकुआँ एक्सप्रेस	सासाराम

माल लदान

माल लदान – एक दृष्टि में

- माल गाड़ियों की संख्या (औसत प्रतिदिन) : 396.53 (नवंबर तक)
- औसत माल से आय प्रतिदिन (करोड़ में) : 50.48 (नवंबर तक)

क.सं.	मद	मिलियन टन में	गत वर्ष की तुलना में (% में)
1	2019–20 में किया गया लदान	149.49	8.97
2	2020–21 का लक्ष्य	156.00	7.59
3	2020–21 में किया गया लदान	140.17	–6.14
4	2021–22 में किया गया लदान (नवम्बर तक)	104.6	20.55

माल लदान – एक दृष्टि में

- माल लदान के मामले में यह रेलवे पूर्व तट रेल, दक्षिण पूर्व मध्य रेल ,एवं दक्षिण पूर्व रेल के बाद चौथे स्थान पर है।

स्थान	2020–21		2021–22 (नवंबर तक)	
	रेलवे	लदान (मिलियन टन में)	रेलवे	लदान (मिलियन टन में)
प्रथम	पूर्व तट रेल	204.90	पूर्व तट रेल	150.55
द्वितीय	दक्षिण पूर्व मध्य रेल	186.51	दक्षिण पूर्व रेल	133.62
तृतीय	दक्षिण पूर्व रेल	175.80	दक्षिण पूर्व मध्य रेल	126.45
चतुर्थ	पूर्व मध्य रेल	140.17	पूर्व मध्य रेल	104.60
पंचम	दक्षिण मध्य रेल	96.00	दक्षिण मध्य रेल	75.42

सामग्रीवार माल—लदान

(मिलियन टन में)

सामग्री	2020—2021	2021—2022 (नवंबर तक)
कोयला	125.03	94.99
पी. ओ. एल (मिनरल ऑयल)	1.65	0.8
सीमेंट	3.82	2.66
अन्य	9.67	6.15
कुल	140.17	104.6

समय पालन

समय पालन

मंडल	मेल/एक्सप्रेस			पैसेंजर (मेमू/डेमू सहित)		
	19-20	20-21	21-22 (नवंबर तक)	19-20	20-21	21-22 (नवंबर तक)
धनबाद	89.70	96.15	95.57	78.97	88.52	84.25
दानापुर	82.69	96.40	95.85	73.44	95.25	94.19
पं.दीन दयाल उपाध्याय	81.77	94.88	92.88	68.75	92.63	88.79
सोनपुर	62.63	93.09	93.82	48.38	88.77	85.59
समस्तीपुर	71.84	96.64	97.24	53.42	91.95	78.92
जोन	71.33	94.45	93.86	63.21	91.01	84.08

समय पालन में सुधार
हेतु उठाये गये कदम

2020-21 में नए गुड्स टर्मिनल का शुभारंभ

क्रम सं०	मंडल	खंड	स्टेशन का नाम
1.	धनबाद	नई गिरीडीह-महेशमुंडा	नई गिरीडीह
		धनबाद- गोमो	तेतुलमारी
2.	पं.दीनदयाल उपाध्याय	जपला -गढवारोड	कोशियारा
		गया -सोननगर	इस्माइलपुर
3.	दानापुर	पटना- झांझा	मोकामा
		लखीसराय-शेखपुरा	सेरारी
		पटना -गया	चाकंद
4.	सोनपुर	बछवारा- हाजीपुर	चकसिकंदर
		कटिहार -मानसी	मानसी
		गड़हरा	गड़हरा
5.	समस्तीपुर	सगौली-नरकटियागंज	नरकटियागंज
		सुपौल-सरायगढ़	सरायगढ़
		बनमंछी-बरहरा कोठी	बरहरा कोठी
		मनसी-सहरसा	बदलाघाट
		सहरसा-मुरलीगंज	बुदधमा

2021-22 में नए गुड्स टर्मिनल का शुभारंभ

क्रम सं०	मंडल	खंड	स्टेशन का नाम
1.	धनबाद	बरकाकाना - सिद्धवर	सिद्धवर
2.		गढ़वा - चोपन	नगर उंटारी
3.		गढ़वा - चोपन	बिल्ली जं.
4.	पं.दीनदयाल उपाध्याय	सासाराम - पं दीनदयाल उपाध्याय	दुर्गावती

2021–22 यात्री परिचालन का विवरण
(मेमू/डेमू) नवंबर तक

मेमू

- पूर्व मध्य रेल– 54 जोड़ी गाड़ियाँ
- अन्य रेल – 14 जोड़ी गाड़ियाँ

डेमू

- पूर्व मध्य रेल – 27 जोड़ी गाड़ियाँ
- अन्य रेल – 07 जोड़ी गाड़ियाँ

2020–21 एवं 2021–22 में
यात्री सुविधाओं में
किए गए कार्य

2020-21 में यात्री सुविधाओं में किए गए कार्य

क्रम सं.	मद	2020-21
01	प्लेटफार्म उंचीकरण का कार्य	08
02	प्लेटफार्म शेल्टर का निर्माण	08
03	पैदल उपरि पुल का निर्माण	07
04	अनारक्षित टिकट प्रणाली	07
05	कंप्यूटरीकृत आरक्षण सह अनारक्षित टिकट प्रणाली	01
06	वाटर वेंडिंग मशीन	00
07	लिफ्ट	05
08	एस्केलेटर	06

2020-21 में पूर्ण किए गए यात्री सुविधा के कार्य

मद	स्टेशनों के नाम	पूर्ण किए गए कार्य
प्लेटफार्म उंचीकरण	फुलवारीशरीफ, सचिवालय हॉल्ट, हैदरनगर, जाकिम, भभुआ रोड, गोरौल, दौरममधेपुरा-2	08
प्लेटफार्म शेल्टर का निर्माण	दरभंगा-5, गिद्धौर, जमुई एवं पटलिपुत्र	08
पैदल उपरि पुल	लखीसराय, सुपौल, सिकटा, बेगुसराय, बनमनखी, खगौली, भांग	07



2020-21 में पूर्ण किए गए यात्री सुविधा के कार्य

मद	स्टेशनों के नाम	पूर्ण किए गए कार्य
अनारक्षित टिकट प्रणाली	वैशाली, लालगंज पकरी, हरौली फतेहपुर, खुदागंज बाजार, कटारी, न्यू बरौनी जं., टेकाबिगहा	07
कंप्यूटरीकृत सह-अनारक्षित प्रणाली	आरक्षण टिकट न्यू बरौनी जं.	01

2020-21 में पूर्ण किए गए यात्री सुविधा के कार्य

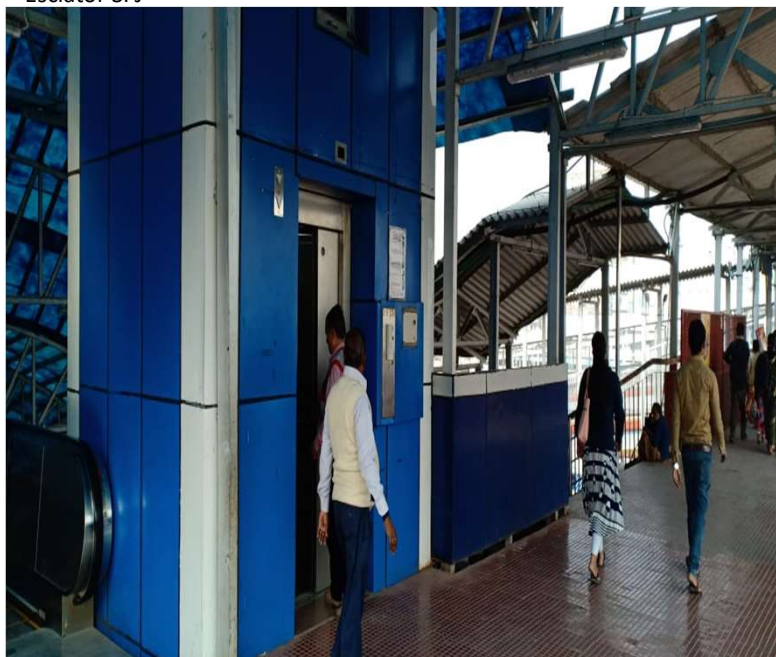
मद	स्टेशनों के नाम	पूर्ण किए गए कार्य
लिफ्ट	राजेन्द्रनगर टर्मिनल-1, गया-2, मुजफ्फरपुर-1, दरभंगा-1	05
एस्केलेटर	पाटलीपुत्र-2, दरभंगा-4	06



PET SPJ



Escalator SPJ



(2021-22) में यात्री सुविधाओं में किए गए कार्य

क्रम सं.	मद	2021-22 (नवंबर तक)
01	प्लेटफार्म ऊंचीकरण का कार्य	07
02	प्लेटफार्म शेल्टर का निर्माण	13
03	पैदल उपरि पुल का निर्माण	16

2021-22 में पूरे किये यात्री सुविधा के कार्य (नवंबर तक)

मद	स्टेशनों के नाम	पूर्ण किये गये कार्य
प्लेटफार्म उंचीकरण	फुलवारीशरीफ, सचिवालय हॉल्ट, चंदौली मंझवार-02, जपला, जाखिम, तुर्की	07
शेल्टर	धनबाद-05,आरा-01, पाटलीपुत्र-03,गुलजारबाग-02,दिलदारनगर-02	13
पैदल उपरि पुल	मतारी, फफराकुंड, रमना, विंडमगंज,नगरउटारी,पाटलीपुत्र, काष्ठा खगड़िया, नौगछिया, बुधमा, मुरलीगंज ,कमतौल, परमजिवार-ताराजिवार ,बदलाघाट, कौपड़िया बाजपट्	16

2021-22 में पूरे किये जाने
वाले यात्री सुविधा के कार्य

2021-22 में पूरे किये जाने वाले यात्री सुविधा के कार्य

क्रम संख्या	मद	स्टेशनों के नाम	शेष कार्य
1.	प्लेटफार्म उंचीकरण	आरा, परैया, कुदरा, भभुआ रोड, कुमहौउ, कष्टा, गुरारू, थाना बिहपुर,	08
2.	शेल्टर	गिद्धौर-01, सासाराम-02, गया-02, शाहपुरपटोरी-01, महनार रोड-01, देसरी-01	08
3.	पैदल उपरि पुल	चौबे, महुआ मिलन, अरीगडा, साकी, गया, जमुई, दानापुर, बाढ़, जहानाबाद, फतुआ, सचिवालय हॉल्ट, सहरसा, रीगा, जारंगडीह, बिहियां, नरकटियागंज, रून्नीसैदपुर, मुक्तापुर, अनुग्रह नारायण रोड, सरायगढ़, राघोपुर, सोनपुर, हरौली, बखरी	24

महत्वपूर्ण परियोजनाएं

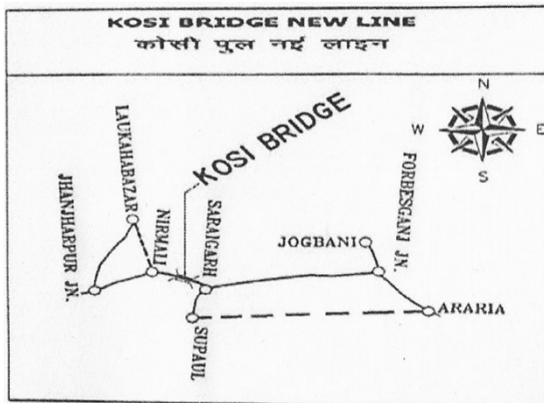
निर्मली कोसी पुल

कोसी पुल स्पेन 39 X 45.7 मी.



निर्मली-सरायगढ़

कोसी पुल (1.87 किमी) एवं पहुँच (22 किमी) नई लाइन, (पीबी मद सं. 11/2018-19)



स्वीकृति वर्ष	2003-04
संशोधित लागत	516.02 करोड़
मार्च 2021 तक किया गया व्यव	447.34 करोड़
बड़ी लाईन	22.00 कि.मी
वर्ष 2021-22	4.13 करोड़

- सरायगढ़-आसनपुरकुपहा (13 किमी) (कोशी पुल 39X45.7 मी.) कमीशन हो गया है।
- आसनपुर-कुपहा-निर्मली(9किमी)के सीआरएस निरीक्षण हेतु सीआरएस कार्यालय में कागजात जमा कर दिया गया है। सीआरएस के ऑब्जरवेशन का जवाब दिया जा रहा है।



किऊल पुल सं. 136



टोरी- शिवपुर दोहरीकरण -नई लाइन(44किमी)



टोरी- बिरटाटोली महुआमिलन (18 किमी) आओआर लाइन



टोरी- बिरटाटोली -महुआमिलन (18 किमी) आओआर लाइन



बाढ़— बख्तियारपुर तीसरी लाइन एवं बख्तियारपुर— करनौती बाईपास लाइन



गोमो —आर०ओ०बी०

2020-21 में पूरी की गई परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजनाएं	लक्ष्य 2020-21	मार्च 2021 तक (किमी)
1.	नई लाईन	13	13 किमी कार्य पूर्ण किया गया।
2.	दोहरीकरण	153	63 किमी कार्य पूर्ण किया गया।
3.	आमान परिवर्तन	54	20 किमी कार्य पूर्ण किया गया।
	कुल	220	96 किमी कार्य पूर्ण किया गया।
4.	विद्युतीकरण	209	204 किमी कार्य पूर्ण किया गया।

2020-21 में पूरी की गई परियोजनाएं

नई लाईन

क्र.सं.	परियोजनाएं	खण्ड	किमी
1	कोसी पुल	सरायगढ-आसनपुर कुपहा	13
		कुल	13

निर्मली कोसी पुल

कोसी पुल स्पेन 39 X 45.7 मी.



2020-21 में पूरी की गई परियोजनाएं

दोहरीकरण

क्र.सं.	परियोजनाएं	खण्ड	किमी
2	रमना-सिंगरौली (160 कि०मी०)	रमना-नगरउटारी	11
		नगरउटारी- विन्डमगंज	11
	दनिया-रांची रोड(32 कि०मी०)	कर्माहट-रांची रोड	6
		जगेशवर बिहार-दनिया	9
	गढ़वा रोड- रमना (32 कि०मी०)	गढ़वा रोड- मेरलग्राम	11
	जारंगडीह-दनिया (29कि०मी०)	जारंगडीह- बोकारो थरमल	6
	समस्तीपुर-दरभंगा (38कि०मी०)	दरभंगा-थलवारा	9
	कुल		63

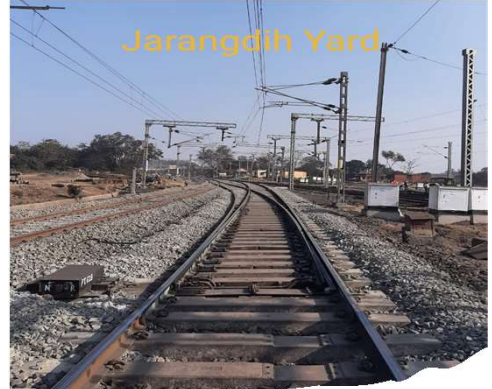
2020-21 में पूरी की गई परियोजनाएं

आमान परिवर्तन

क्र.सं.	परियोजनाएं	खण्ड	किमी
3	सकरी-निर्मली-झंझारपुर-लौकहा बाजार एवं सहरसा-फारविसगंज (206.06 किमी)	झंझारपुर-तमुरीया	09
		सरायगढ़-राधोपुर	11
		कुल	20

जगेशवर बिहार-चैनपुर-कर्माहट (11 किमी)





जरंगडीह— बोकारो थर्मल (06 किमी)



रमना—नगरउटारी (11किमी)



नगरउटारी-विन्धमगंज (11 किमी)



गढ़वा रोड- मेरलग्राम (11 किमी)

2021-22 में पूरी की गई परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजनाएं	लक्ष्य 2021-22	नवंबर 2021 तक (किमी)
1.	नई लाईन	31	09 किमी कार्य पूर्ण ,सीआरएस स्वीकृती हेतु प्रतिकारत ।
2.	दोहरीकरण	163	44 किमी कार्य पूर्ण किया गया ।
3.	आमान परिवर्तन	63	20 किमी कार्य पूर्ण किया गया
	कुल	257	73किमी कार्य पूर्ण किया गया ।
4.	विद्युतीकरण	193	79.31 किमी सीतामढ़ी –रक्सौल कार्य पूर्ण किया गया ।

2021-22 में पूरी की गई परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजनाएं	लक्ष्य 2021-22	नवम्बर 2021 तक (किमी)	
			खण्ड	अभ्युक्ती
1.	नई लाईन	31	निर्मली-असनपुरकुपा –09 किमी ,	सीआरएस स्वीकृती प्राप्त नहीं हुई है ।
2.	दोहरीकरण	163	रांची रोड-भुरकुंडा-15 किमी फफराकुंड-मगरडाहा-07 किमी गढ़वा रोड –गढ़वा लिंक-09 किमी विन्धमगंज-महुरिया-11 किमी सफेरा-टरैंगिल-02 किमी	कार्य पूर्ण किया गया ।
3.	आमान परिवर्तन	63	राघोपुर-ललीतग्राम-20 किमी	कार्य पूर्ण किया गया
4.	विद्युतीकरण	193	सीतामढ़ी –रक्सौल-79.31 किमी	कार्य पूर्ण किया गया ।



रांची रोड – भुरकुंडा



फफराकुंडा-मगरडाहा-07 किमी



(गढ़वा रोड –गढ़वा लिंक-09 किमी)

2021-22 में पूरी की जाने वाली परियोजनाएं
नई लाईन

क.सं.	परियोजनाएं	खण्ड	किमी
1	कोडरमा-रांची	सिद्धवर-शनकी	26
		कुल	26

**2021-22 में पूरी की जाने वाली परियोजनाएं
दोहरीकरण**

क्र.सं.	परियोजनाएं	खण्ड	किमी
1	पटना-गंगा ब्रिज	पाटलीपुत्र-पहलेजा	11
2	करैला रोड-शक्तिनगर	करैला रोड-अनपरा	11
3	रमना-सिंगरौली	सिंगरौली-करैला रोड	13
		बिल्ली-ओबरा	3
4	कटरिया-कुर्सेला	कटरिया-कुर्सेला	7
5	मुजफ्फरपुर-सगौली	महवल-मेंहसी-चकिया	9
6	सुगौली-वालिमिकीनगर	सुगौली-मझौलिया	12
		चमुआ-हरिनगर	8
		नरकटियागंज-साठी	11



पाटलीपुत्र-पहलेजा दोहरीकरण (11 किमी)

2021-22 में पूरी की जाने वाली परियोजनाएं दोहरीकरण

क.सं.	परियोजनाएं	खण्ड	किमी
7	जरंगडीह-दनिया पैच डीएल	डुमरी बिहार-दनिया	11
		बोकारो थर्मल-गोमिया	5
8	करौला रोड-शक्तिनगर	किशनशिला-शक्तिनगर	12
9	रांची रोड-पतरातू डीएल शेड	बरका अभाइडिंग-बरकाकाना-अरीगड़ा	4
10	रमना-सिंगरौली डीएल	मगरडाह-करौला रोड	24
		कुल	141



दनिया- जगेशवर बिहार (09 किमी)



बरका अभाइडिंग-बरकाकाना-अरीगड़ा(04 किमी)

2021-22 में पूरी की जाने वाली परियोजनाएं आमान परिवर्तन

क्र.सं.	परियोजनाएं	खण्ड	किमी
1	सकरी-निर्मली-झंझारपुर-लौकाहाबाजार एवं सहरसा-फारबिसगंज	तमुरिया-घोघरडीहा	11
		घोघरडीहा-निर्मली	11
		राघोपुर-प्रतापगंज-नरपतगंज	09
2	मानसी-सहरसा- दौरम मधेपुरा के साथ -पूर्णिमा-बनमनखी-बिहारीगंज	बरहरकोठरी-बिहारीगंज	12
3	बरौनी-यातायात सुविधाओं में वृद्धि (यातायात सुविधाओं) (पीएच-16)	बरौनी-यातायात सुविधाओं में सुधार	0
		कुल	43

वर्ष 2021-22 में पूरे किये जाने वाले विद्युतीकरण के कार्य

क्र.सं	मंडल	खण्ड	रूट किमी	स्थिति
01	धनबाद	बरकाकाना-सनकी	36.00	79.31 किमी सीतामढ़ी -रक्सौल का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया।
02	समस्तीपुर	सीतामढ़ी-रक्सौल	80.00	
		दौरम मधेपुरा-पूर्णियां	77.00	
		कुल	193.00	

2020-21 में योजना शीर्ष के व्यय की स्थिति

योजना शीर्ष	2019-20 खर्च व्यय	2020-21 खर्च सीमा
11. नई लाईन	821.10	884.55
14. आमान-परिवर्तन	259.40	379.05
15. दोहरीकरण	2055.64	2267.97
कुल योग	3136.14	3531.57

2021-22 में योजना शीर्ष के व्यय की स्थिति

योजना शीर्ष	2020-21 खर्च व्यय	2021-22 खर्च सीमा नवम्बर तक
11. नई लाईन	893.30	1203.71
14. आमान-परिवर्तन	392.07	520.00
15. दोहरीकरण	3103.16	3365.29
कुल योग	4388.53	5089.00

2020-21 में समपारों के बदले आरओबी का निर्माण

क्रम सं०	आरओबी का विवरण	चालू किया गया
1	मतारी-गोमो (लेवल क्रसिंग संख्या-9बी), गोमो-टेलो (लेवल क्रसिंग संख्या-9बी/सीआईसी) और गोमो-खानुडीह (लेवल क्रसिंग संख्या-9बी) के बदले में रोड ओवर ब्रिज।	दिसम्बर 2020 में पॉचों छोर चालू हो गए।
2	छोटा अंबाना-प्रधानखांटा 15 स्पेशल/टी के बदले में रोड ओवर ब्रिज।	फरवरी 2021 में चालू हो गए।



छोटा अंबाना-प्रधानखांटा 15 स्पेशल/टी के बदले में रोड ओवर ब्रिज।

2021-22 में समपारों के बदले आरओबी का निर्माण

क्रम सं०	आरओबी का विवरण	चालू किया गया
1	सोननगर-दुर्गोटी- समपार सं. 39/सी के स्थान पर 2-लेन सड़क उपरि पुल	मई 2021 में चालू हो गए।
2	सोननगर-दुर्गोटी- समपार सं. 40/सी के स्थान पर 2-लेन सड़क उपरि पुल	मई 2021 में चालू हो गए।
3	मानपुर-मुगलसराय रोड ओवर ब्रिज के स्थान पर समपार सं. 54	सितंबर 2021 में चालू हो गए।
4	सोननगर-दुर्गोटी- समपार सं. 38/सी के स्थान पर 2-लेन सड़क उपरि पुल	अक्टूबर 2021 में चालू हो गए।
5	मानपुर-मुगलसराय रोड ओवर ब्रिज के स्थान पर समपार सं. 52	अक्टूबर 2021 में चालू हो गए।

स्वीकृत सड़क ऊपरि पुल का विवरण 2020–21

क्र सं.	मद	संख्या
1	कुल स्वीकृत पुल	145
2	पुल को पी एस यू को हस्तांतरित किया गया।	83
i	डी. एफ.सी. सी. आइ. एल. (DFCCIL)	36
ii	यू पी.एस. बी. सी. एल. (UPSBCL)	01
iii	एम ओ यू (MOU) के आधार पर बिहार सरकार / आर सी डी को हस्तांतरित किया गया।	46
3	स्वीकृत पुल जिन पर राज्य सरकार से समपार बंद करने और अंश लागत की स्वीकृति प्रतीक्षित है	16

स्वीकृत सड़क ऊपरि पुल का विवरण 2020–21

क्र सं.	मद	संख्या
4	प्रभावी स्वीकृति	46
5	यातायात हेतु चालू किए गए पुल	18
6	सिर्फ रेलवे क्षेत्र में (पुल के अप्रोच को छोड़कर) निर्माण किए गए पुल	2
7	प्रभावी स्वीकृति के पुल जिनका निर्माण रेलवे द्वारा शेष है।	26
i	रेलवे द्वारा पुलों (रेलवे क्षेत्र के साथ अप्रोच का निर्माण) कार्य प्रगति पर है	06
ii	रेलवे द्वारा पुलों (रेलवे क्षेत्र का निर्माण) कार्य प्रगति पर है	10
iii	रेलवे द्वारा पुलों (रेलवे क्षेत्र का निर्माण) कार्य नियोजन स्तर पर है।	10

स्वीकृत सड़क ऊपरि पुल का विवरण 2021-22

क्र सं.	मद	संख्या
1	कुल स्वीकृत पुल	142
2	पुल को पी एस यू को हस्तांतरित किया गया।	83
i	डी. एफ.सी. सी. आइ. एल. (DFCCIL)	36
ii	यू. पी.एस. बी. सी. एल. (UPSBCL)	01
iii	एम ओ यू (MOU) के आधार पर बिहार सरकार / आर सी डी को हस्तांतरित किया गया।	46
3	स्वीकृत पुल जिन पर राज्य सरकार से समपार बंद करने और अंश लागत की स्वीकृति प्रतीक्षित है	16

स्वीकृत सड़क ऊपरि पुल का विवरण 2021-22

क्र सं.	मद	संख्या
4	प्रभावी स्वीकृति	43
5	यातायात हेतु चालू किए गए पुल	20
6	सिर्फ रेलवे क्षेत्र में (पुल के अप्रोच को छोड़कर) निर्माण किए गए पुल	1
7	प्रभावी स्वीकृति के पुल जिनका निर्माण रेलवे द्वारा शेष है।	22
i	रेलवे द्वारा पुलों (रेलवे क्षेत्र के साथ अप्रोच का निर्माण) कार्य प्रगति पर है	06
ii	रेलवे द्वारा पुलों (रेलवे क्षेत्र का निर्माण) कार्य प्रगति पर है	11
iii	रेलवे द्वारा पुलों (रेलवे क्षेत्र का निर्माण) कार्य नियोजन स्तर पर है।	05

ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, मधेपुरा



मधेपुरा फैक्ट्री का लोकोमोटिव वर्कशाप

प्रमुख तथ्य

- पीपीपी मॉडल— मेसर्स अल्स्टॉम के साथ संविदा।
- अनुमानित लागत : ₹0 1293.57 करोड़।
- उत्पादन क्षमता : प्रति वर्ष 100 लोकोमोटिव।
- रेलवे द्वारा फैक्ट्री के लिए 30 वर्ष की लीज़ पर 275 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गई।
- मधेपुरा फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक इंजनो का निर्माण कार्य आरंभ।
- परियोजना के अंतर्गत आपूर्ति किया जाना है :- 800 लोको।
- परियोजना के अंतर्गत नवम्बर 2021 तक कुल आपूर्ति: - 154 लोको।
- निर्धारित समय सीमा में लोको का निरीक्षण एवं बिल भुगतान के फलस्वरूप कुल प्राप्त राजस्व :- 24 करोड़।

रेलवे द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की प्रगति

- फैक्ट्री के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु 132/33 झटए 2 ग 10डट। विद्युत सब-स्टेशन, 132/25 KV Traction Sub-Station और सिंहेश्वर स्थान विद्युत ग्रीड से 15 कि० मी० 132 के०वी० ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण।
- फैक्ट्री के लिए मुख्य सड़क से संपर्क पथ का निर्माण कार्य पूर्ण।



मधेपुरा फैक्ट्री का प्रथम लोकोमोटिव

डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री,
मदौरा



प्रमुख तथ्य

- पीपीपी मॉडल— मेसर्स जी0ई0 डीजल लोकोमोटिव प्रा0 लि0 के साथ संविदा
- अनुमानित लागत : रू0 2052 करोड़
- उत्पादन क्षमता : प्रति वर्ष 100 लोकोमोटिव
- रेलवे द्वारा फैक्ट्री के लिए 30 वर्ष की लीज पर 200 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गई।
- फैक्ट्री स्थापना का कार्य पूर्ण।
- मढौरा फैक्ट्री से नवम्बर 2021 तक कुल 367 निर्मित इंजनों की आपूर्ति की गई।
- परियोजना के अंतर्गत आपूर्ति किया जाना है :-
 - आयातित लोको — 50
 - स्वनिर्मित लोको — 950
- निर्धारित समय सीमा में लोको का निरीक्षण एवं बिल भुगतान के फल:स्वरूप कुल प्राप्त राजस्व 32.54 करोड़।

रेलवे द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की प्रगति

- फैक्ट्री का पटेहरी स्टेशन से रेल लिंकिंग का कार्य पूर्ण ।
- फैक्ट्री के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु 132/33 KV, 2x10MVA विद्युत सब-स्टेशन और मसरख विद्युत ग्रीड से 25 कि० मी० 132 के०वी० ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण ।
- फैक्ट्री के लिए मुख्य सड़क से संपर्क पथ का निर्माण कार्य पूर्ण ।



मढ़ौरा फैक्ट्री का लोकोमोटिव

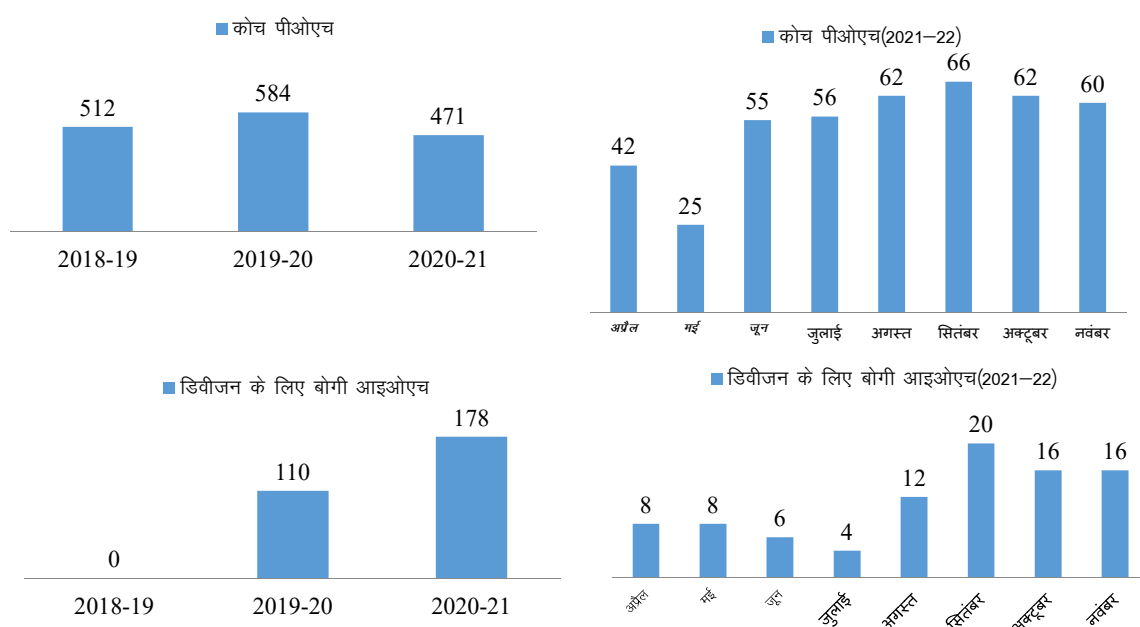
सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना,
हरनौत ,नालन्दा (बिहार)



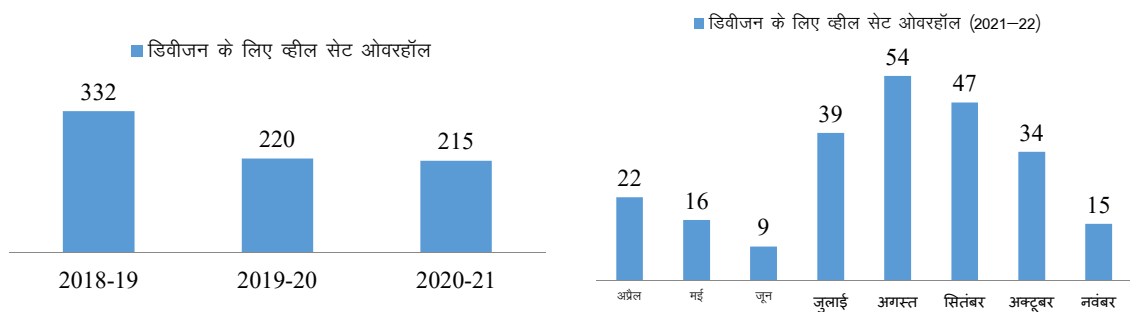
कारखाना एक नजर में

अनुमोदन वर्ष	2003—04
कार्यकारी संस्था	कारखाना परियोजना संगठन, पटना
परियोजना लागत	328 करोड़
तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम द्वारा शिलान्यास	30 जून 2003
पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कारखाना का अधिग्रहण	15 जून 2012
कुल क्षेत्रफल	120 एकड़
कर्मचारियों की संख्या	960
प्रथम आई.सी.एफ कोच का पीओएच	जनवरी 2013
प्रथम ए.सी. आई.सी.एफ कोच का पीओएच	नवम्बर 2019
प्रथम एल.एच.बी. कोच का पीओएच	मई 2019

उपलब्धियां



उपलब्धियाँ



- वर्ष 2020-21 में प्रथम बार कई नये कोच जैसे जनशताब्दी चैयर कार, पैन्ट्री कार, ऑब्जरवेशन कार का पीओएच किया गया
- सितंबर-21 में अब तक का सर्वाधिक मासिक उत्पादन (66 कोच) का पीओएच किया गया ।
- जून-21 में अब तक का सर्वाधिक आईसीएफ एसी (07 कोच) का पीओएच किया गया ।
- अक्टूबर-21 माह में अब तक का सर्वाधिक एलएचबी (04 कोच) का पीओएच किया गया।



स्वच्छ रेल : स्वच्छ भारत

स्वच्छता में सुधार

- पूर्व मध्य रेल ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अंतिम वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में शानदार प्रदर्शन किया है। पूर्व मध्य रेल के रैंकिंग 15वें एवं 16वें स्थान की तुलना में रैंकिंग में 12 स्थानों की छलांग लगाते हुए सभी जोनल रेलवे की समग्र रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है।
- राजेन्द्र नगर स्टेशन को भारतीय रेलवे के सभी 720 स्टेशनों के मध्य ग्रीन स्कोरिंग (95.5%) की श्रेणी में प्रथम घोषित किया गया है।
- भारतीय रेलवे में अधिकतम सुधार वाले शीर्ष 10 स्टेशनों में 4 स्टेशन क्रमशः सासाराम, सिंगरौली, बापूधाम मोतिहारी और अनुग्रह नारायण रोड पूमरे के अंतर्गत हैं।
- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुपालन हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा नामित पूमरे के चिन्हित कुल 52 स्टेशनों को ISO:14001:2015 से प्रमाणित किया गया है।
- पूर्व मध्य रेल के राजेन्द्र नगर टर्मिनल एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय स्टेशनों को IGBC द्वारा हरित स्टेशनों की श्रेणी में सिल्वर दर्जा प्राप्त हुआ है।

साफ-सफाई में सुधार हेतु उठाए गए कदम

- पूर्व मध्य रेल के सभी स्टेशनों पर साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की गई है।
- इस हेतु प्रमुख स्टेशनों पर ठेके द्वारा एवं शेष पर विभागीय व्यवस्था के तहत सफाई की जाती है।
- सभी ए-1 एवं ए श्रेणी के स्टेशनों पर उच्च मानक की सफाई हेतु मेकनाइज्ड क्लीनिंग कांट्रेक्ट किए गये हैं। इन कांट्रेक्टों में सफाई से संबंधित सभी तरह के मर्दों यथा कूड़ा उठाना, प्लेटफार्म, ट्रैक की सफाई इत्यादि के प्रावधान हैं।
- पूर्व मध्य रेल के सभी महत्वपूर्ण 50 स्टेशनों पर सीसीटीवी द्वारा सफाई की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है और स्टेशनों पर कूड़ा फैलाने हेतु आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया है।
- यात्रियों एवं आम जनता के बीच स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु सभी यात्री इंटरफेस क्षेत्रों के विशिष्ट स्थानों पर स्वच्छता पोस्टर, नोटिस एवं कार्टून चरित्र प्रदर्शित किए गए हैं तथा नियमित रूप से समयानुसार स्टेशनों पर सफाई सार्वजनिक घणनाएं कराई जाती हैं।
- रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2021 में स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक मनाया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा को प्रभावी एवं फलदायी बनाने के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया गया।

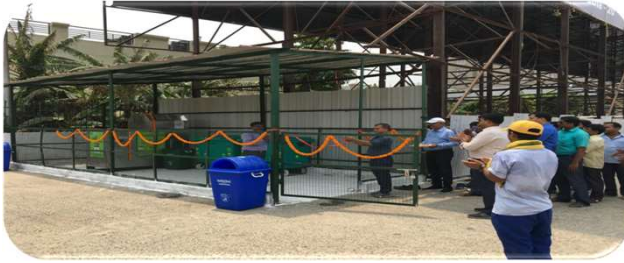
साफ-सफाई में सुधार हेतु उठाए गए कदम

- चलती ट्रेनों में साफ-सफाई बनाये रखने हेतु प्रमुख 38 ट्रेनों में ओबीएचएस की सुविधा दी गई है।
- 'क्लीन ट्रेन स्टेशन' योजना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन पर लागू है और यहां से गुजरने वाली कुल 79 ट्रेनों में इस योजना के तहत सफाई की जाती है।
- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुपालन हेतु पूमरे के चिन्हित सभी 52 स्टेशनों ने संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) से सीपना एवं संचालन हेतु सहमति (CTE)/ (CTO) प्राप्त किया है।
- 'रेल मदद सेवा'
 - एसएमएस या वेब से प्राप्त कोच से संबंधित यात्रियों की समस्याओं के निवारण हेतु यह ऑन लाइन सुविधा है।
 - इस योजना के तहत सभी ओबीएचएस अंतर्निहित मेल/एक्सप्रेस एवं इंटरसिटी गाड़ियों में सुविधा दी जा रही है।
 - इस योजना में शिकायतों की स्थिति एवं इनका निवारण **Real time basis** पर किया जाता है।
 - समाधि से संबंधित शिकायतों के औसत निराकरण अवधि के मामलों में भारतीय रेल में वर्ष 2021-22 के दौरान नवम्बर के अंत तक पूर्व मध्य रेल का स्थान तीसरा रहा।

प्रमुख स्टेशनों पर अपशिष्ट प्रबंधन

- पूर्व मध्य रेलवे के 52 नामित स्टेशनों पर वेंडिंग स्टॉल के अलावे, प्लेटफॉर्म और सभी यात्री इंटरफेस क्षेत्रों पर यात्री क्षमता के अनुरूप दो प्रकार के डस्टबिन बायोडिग्रेडेबल (हरा) और गैर-बायोडिग्रेडेबल (नीला) उपलब्ध कराए गए हैं।
- पूर्व मध्य रेल के 52 नामित स्टेशनों में से 44 स्टेशनों पर कुल 50 प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीन लगाए गए हैं।
- पूर्व मध्य रेल में प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रनिंग रूम के समीप पटना जं०, बरौनी जं० एवं पं० दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन पर अपशिष्ट से ऊर्जा के लिए गैस प्लांट स्थापित किया गया है।
- **Bio-degradable** कचरे के निष्पादन के लिए पूर्व मध्य रेल के 21 स्टेशनों पर खाद्य-संयंत्रों की स्थापना की गई है तथा सभी चिन्हित स्टेशनों, अन्य जगहों जहां से प्रचुर मात्रा में गीला कचरा उत्पन्न होता है, को चिन्हित कर वहां एक वर्मी खाद्य-संयंत्र सीपित करने की योजना है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र



पूर्व मध्य रेल –स्वास्थ्य सुविधाएं

केंद्रीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल	01
मंडल अस्पताल	05
उप मंडल अस्पताल	03 (गया, गरहरा, पतरातु)
हेल्थ यूनिटों की संख्या	41
कुल उपलब्ध बेडों की संख्या	887
डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मचारी की संख्या	1592
पैनल में निजी अस्पतालों की संख्या	23

अस्पताल	उपलब्ध बेडों की संख्या
केंद्रीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल	200
मंडल अस्पताल/धनबाद	125
मंडल अस्पताल/दानापुर	112
मंडल अस्पताल/पं. दीन दयाल उपाध्याय	174
मंडल अस्पताल/सोनपुर	146
मंडल अस्पताल/समस्तीपुर	130

ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट



केंद्रीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल



सोनपुर मंडल

ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट



पं. दीन दयाल उपाध्याय मंडल

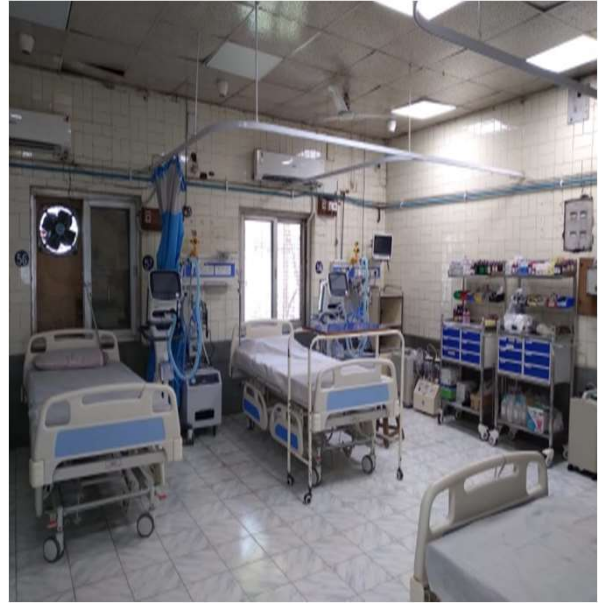


दानापुर मंडल

बाल चिकित्सा गहन देख-भाल यूनिट (इनवेसिव एवं नन इनवेसिव)



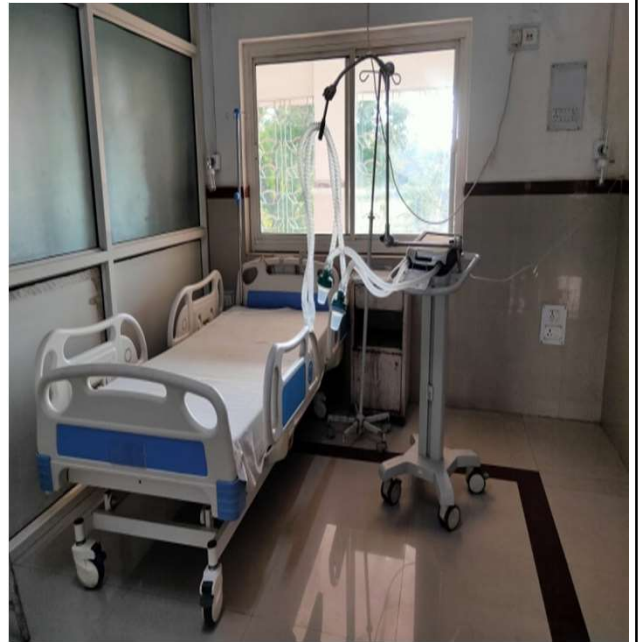
केंद्रीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल



पं. दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल



दानापुर अस्पताल



सोनपुर अस्पताल

पूर्व मध्य रेल के मंडल

धनबाद मंडल

धनबाद मंडल

➤ सेवित क्षेत्र:

झारखण्ड में धनबाद, हजारीबाग, चतरा, रांची, बोकारो, कोडरमा, पलामू, लातेहार, गढ़वा और गिरिडीह, बिहार में गया, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिला।

➤ यात्री स्टेशन/हाल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	09
ब्लाक स्टेशन	:	93
हाल्टों स्टेशन	:	43

सेवित उद्योग :

बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल., एवं एन.सी.एल. के कोलफील्ड, टिस्को को वेस्ट बोकारो कोल वाशरी, टिस्को का चासनाला कोलियरी, सी.टी.पी.एस., बी.टी.पी.एस., ए.टी.पी.एस. ओ.टी.पी.एस. पी.टी.पी.एस. एस.एस.टी.पी. पी., वी.एस.टी.पी.पी. और आर.एच.एस.टी.पी.पी., के पावर हाउस, सिंदरी स्थित ए.सी.सी. सीमेंट फैक्ट्री, रेणूकूट स्थित कनोरिया केमिकल्स, गढ़वा रोड स्थित बिरला केमिकल्स, जे.पी. सीमेंट, सलाईबनवा तथा जिंदल स्टील पतरातू, हीरोडीह (कोडरमा) स्थित के.टी.पी.एस. तथा टी.टी.पी.डी.।

गुड्स शेड :

धनबाद, हजारीबाग रोड, कोडरमा, बरकाकाना, डाल्टेनगंज, टोरी, सिंगरौली, बिल्ली, महदईया, पतरातू, गढ़वा, भुरकुंडा, कुजू कृष्णशिला, कटकमसंडी, हजारीबाग टाउन, पिपराडीह, सलाईबनवा, दुग्धा, टूणडू, बिराटोली, कुसुंडा, शक्तिनगर कतरासगढ़, चरही, बेरमो, सिंदरी मार्शलिंग, बेस, कुसमाही, बंधुआ

उपलब्धियां

- स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति महदिया, दनिया, जोगेश्वर बिहार, तेतुलमारी, बरही, विन्धमंज एवं पच्चा स्टेशन पर की गई है।
- मतारी, विन्धमंज, रमना एवं नगरउटारी स्टेशन पर नया फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है।
- गढ़वा रोड स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2 एवं 3 को हाई लेवल बनाया गया।
- यदूडीह, कोडरमा, गोमोह, सरमाटांड, हिरोडीह, झारोखास, पहाड़पुर एवं बंधुआ स्टेशन पर (पुरुष, महिला एवं दिव्यांग) शैचालय का निर्माण किया गया है।
- परसाबाद, बरवाडीह, मैकलुस्कीगंज, रिचुघुटा, टोकीसुद, कुमंडी, टोलरा, तंकुप्पा, केसवारी, सोनारडीह, होरीडीह, चौबे, दसरा, बेरमो, यदुडीह एवं अमलो स्टेशनों के प्लेटफार्म का विस्तारीकरण किया गया।

उपलब्धियां

- धनबाद मंडल के 11 स्टेशनों (नगरउटारी, गढ़वा, टोरी, लातेहार, दुब्डीनगर, चोपन, ओबरा, बिल्ली, तेलों, चंद्रपुरा एवं भंडारी) पर प्री फेब्रिकेटेड शैचालय का निर्माण किया गया है।
- परसाबाद, यदुडीह, सरमाटांड, चौबे, रिचुघुटा, होरीडीह, कुमंडी एवं गझंडी स्टेशनों पर छोटे यात्री शेड का निर्माण किया गया।
- बिल्ली स्टेशन पर बायो टॉयलेट का निर्माण किया गया।
- गोमो में तीन रेल फाटक संख्या LC No - 98 GC, 9B CIC एवं 9B SER. पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया।
- प्रधानखंता स्टेशन पर फाटक संख्या LC No - 15 spl पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया।
- धनबाद स्टेशन पर गाड़ियों में पानी भरने के लिए क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया।

उपलब्धियां

- धनबाद स्टेशन के दक्षिणी छोर पर यात्रियों की सुविधा के लिए अप्रोच रोड (दो लेन) का निर्माण किया गया है।
- सिंगरौली स्टेशन पर यात्रियों के लिए पे एंड यूज शौचालय का निर्माण किया गया जिसमें 10 टॉयलेट, 05 बाथरूम एवं 05 मूत्रालय है।
- कोडरमा, हजारीबाग, बरकाकाना, डाल्टनगंज एवं गढ़वा रोड स्टेशनों पर 30 फीट उंचा स्मारक ध्वज लगाया गया।
- धनबाद मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों के बैठन के लिए 269 दस सीटों वाला स्टील बेंच बैक रेस्ट के साथ, 153 चार सीटों वाला स्टील बेच बैक रेस्ट के साथ एवं 313 चार सीटों वाला स्टील बेच बिना बैक रेस्ट का लगाया गया।
- यात्रियों की सुविधा के लिए धनबाद, चंद्रपुरा, कोडरमा, बरकाकाना, गढ़वा रोड एवं सिंगरौली पर कैटरिंग स्टॉल का आवंटन किया गया।
- कतरासगढ़ स्टेशन पर नए प्लेटफार्म संख्या 2 एवं 3 का निर्माण किया गया।

DHN Waiting Room-





पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल

पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल

- मानपुर से पंडित दीन दयाल उपाध्याय सेक्शन इस मंडल का व्यस्ततम माल परिवहन करने वाला ग्रैंड कॉर्ड के नाम से विख्यात रेल मार्ग का एक भाग है। सेक्शन –हावड़ा मार्ग पर सोन नदी पर 3 किलोमीटर लंबा बृहत्तम रेल पुल है। 1878 ई. में स्थापित रेलवे इंटर कॉलेज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय एक प्राचीनतम शैक्षणिक संस्था है।

- सेवित क्षेत्र : 08**

बिहार में आरा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया, झारखंड में पलामू और उत्तर प्रदेश में चन्दौली जिला।

- सेवित संसदीय क्षेत्र : 08**

गया, औरंगाबाद, सासाराम, चंदौली, काराकाट, आरा, पलामू एवं बक्सर

➤ **यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :**

जंक्शन स्टेशन	:	05
ब्लॉक स्टेशन	:	38
हॉल्ट स्टेशन	:	16

➤ **सेवित उद्योग :**

यह मंडल सोननगर स्थित डालमियां भारत सीमेंट, गया में एफ.सी.आई, पहलेजा स्थित सी. डब्लू. सी, अंकोरहा में एन.पी.जी.सी.एल (एन.टी.पी.सी) तथा नवीनगर में बी.आर.बी.सी.एल (एन.टी.पी.सी) को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

➤ **गुड्स शेड :**

मानपुर, गया, इस्माइलपुर, अनुग्रह नारायण रोड, सोन नगर, पहलेजा, सासाराम, भभुआ रोड, पं. दीन दयाल उपाध्याय, कोशियारा, दुर्गावती तथा जपला प्रमुख माल प्रचालन टर्मिनल हैं।

उपलब्धियाँ

- **नये कैटरिंग स्टाल**— नये एम0पी0एस0 स्टाल डीडीयू मंडल में ए वर्ग के लिए 12 स्टाल नामित किये गये है। जिसके लिए ई-टेंडर के माध्यम से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसका विवरण निम्न है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय-01, गया-02, भभुआ रोड-02, सासाराम-04, डेहरी-ऑन-सोन-01, अनुग्रह नारायण रोड-02 के लिए टेंडर किया जा चुका है।
- नये बहुद्देशीये स्टाल (**Multipurpose stall**) पं0 दीन दयाल उपाध्याय मंडल के गया स्टेशन पर एम0पी0एस0 स्टाल सं. 02 और अनुग्रह नारायण रोड पर एम0पी0एस0 स्टाल सं. 02 का आवंटन कर दिया गया है।
- डी वर्ग के लिए ई-टेंडर के माध्यम से 9 एम0पी0एस0 स्टॉल के निविदा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसका विवरण इस प्रकार है। कुदरा-02, सोननगर-01, रफीगंज-01, गुरारू-01, जपला-01, हैदर नगर -01, नवीनगर-01, मोहम्मद गंज-01
- **वाईटीएसके** — गया-01 एवं डीडीयू - 01 में वाईटीएसके की स्थापना की गयी।
- **कोच इंडिकेशन बोर्ड एवं ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड**— अनुग्रह नारायण स्टेशन एवं भभुआ स्टेशन पर इसकी स्थापना की गयी।
- **प्लेटफार्म का विस्तारीकरण**— फेसर, भभुआ रोड एवं जाखिम, कुदरा चंदौली एवं जपला स्टेशनों पर प्लेटफार्म का विस्तारीकरण किया गया। ईस्माईलपुर स्टेशन पर **Low Level** पक्का प्लेटफार्म का निर्माण किया गया।

• सर्कुलेटिंग एरिया एवं स्टेशन भवन का विकास

गया एवं पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया एवं स्टेशन भवन का विकास किया गया। चन्दौली मझवार स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया के विकास के साथ-साथ यात्री शेड की संख्या में बढ़ोत्तरी की गयी। अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार एवं विकास किया गया। सासाराम, डेहरी ऑन सोन एवं भभुआ रोड स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार एवं विकास किया गया।

• लिफ्ट एवं एस्केलेटर

पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन पर प्रदत्त एक जोड़ी एस्केलेटर एवं एक लिफ्ट के अतिरिक्त एक और लिफ्ट लगाया गया। गया स्टेशन पर एक जोड़ी एस्केलेटर लगाया गया।

• **FOB** का विस्तारीकरण

भभुआ रोड स्टेशन पर FOB का विस्तार किया गया।

- **प्रतीक्षालय—** पं० दीन दयाल उपाध्याय जं० के प्लेटफार्म सं० 5/6 पर एक नये उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय का नवनिर्माण किया गया। गया तथा अनुग्रह नारायण स्टेशन के प्रतीक्षालयों का नवीनीकरण किया गया।
- **रिटायरिंग रुम एवं डॉरमेट्री—** गया, अनुग्रह नारायण रोड, डिहरी ऑन सोन, पं० दीन दयाल उपाध्याय एवं सासाराम स्टेशनों के रिटायरिंग रुम एवं डॉरमेट्री का नवीनीकरण किया गया।
- **CCTV-** गया, डिहरी ऑन सोन एवं सासाराम, भभुआ रोड एवं अनुग्रह नारायण स्टेशनों पर CCTV लगाया गया।
- **कंप्यूटरीकृत सूचना प्रसारण प्रणाली—** जपला, मोहम्मदगंज, हैदरनगर और नवीनगर, सोननगर, गुरारू, कुदरा, रफीगंज स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत सूचना प्रसारण प्रणाली प्रारंभ की गयी।
- **Wi-Fi-** मंडल के सभी स्टेशनों पर Wi-Fi की सुविधा प्रदान की गयी।

दानापुर मंडल

दानापुर मंडल



दानापुर मंडल

भारत सरकार द्वारा ईस्ट इंडियन रेलवे के अधिग्रहण के पश्चात् 01 जनवरी 1925 को दानापुर मंडल अस्तित्व में आया। झांझा और मुगलसराय के बीच मेन लाईन का निर्माण ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा 1862 ई. में कराया गया था। इसके पश्चात् किऊल-गया और पटना-गया लाईन इसमें शामिल किए गए। 1978 में दानापुर मंडल का विभाजन दानापुर और मुगलसराय मंडल के रूप में किया गया।

इसका विस्तार मुगलसराय से झांझा, पटना से गया (गया स्टेशन छोड़कर), फतुहा से इस्लामपुर, बख्तियारपुर से तिलैया, हाथीदह से राजेन्द्रपुर, किऊल से मानपुर (मानपुर स्टेशन छोड़कर) और दिलदारनगर से ताड़ीघाट तक है।

➤ सेवित जिले:

दानापुर मंडल में बिहार के 9 जिले (बक्सर, भोजपुर (आरा), पटना, गया, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद एवं बेगूसराय) और उत्तर प्रदेश के 02 जिले (चंदौली एवं गाजीपुर) सेवित हैं।

➤ सेवित संसदीय क्षेत्र :

बिहार के 11 संसदीय क्षेत्र (बक्सर, भोजपुर (आरा), पाटलीपुत्र, पटना साहिब, गया, मुंगेर, जमुई, नवादा, नालन्दा, जहानाबाद एवं बेगूसराय) एवं उत्तर प्रदेश के दो जिले (चंदौली एवं गाजीपुर)

➤ यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या:

जंक्शन स्टेशन	:	10
ब्लॉक स्टेशन	:	99
हॉल्ट स्टेशन	:	129
फ्लैग स्टेशन	:	10

➤ सेवित उद्योग

- साईडिंग और विभिन्न स्थलों के एफ.सी.आई के गोदाम इस मंडल द्वारा सेवित हैं। एफ.सी.आई/बक्सर, फुलवारी शरीफ, मोकामा जं., एन.टी.पी.सी/बाढ़, एच.पी.सी.एल/बिहटा, पी.एफ.टी/एम.पी.आई.बी/बिहटा, यू.सी.पी.डी/डी.एच.डब्ल्यू.एन, कोनकर/फतुहा(कुल प्राइवेट साईडिंग-08)

➤ गुड्स शेड

- फतुहा, जमुई, किऊल, लखीसराय, जहानाबाद, आरा, वारसलीगंज, बक्सर, दानापुर, शेखपुरा, वेना, मोकामा और चाकंद (कुल गुड्स शेड-13)

उपलब्धियां

- बिहार के गौरवशाली संस्कृति को चित्रित करते हुए पटना जंक्शन के आमुख को विकसित किया गया है।
- पटना एवं पाटलीपुत्र स्टेशन पर विकास कार्य किया गया।
- राजेन्द्र नगर एवं पटना जं० के करबिगहिया छोर के आमुख पर प्रकाश व्यवस्था कार्य पुरा किया गया।
- इस वर्ष मंडल को विभिन्न क्षेत्रों में इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए महाप्रबंधक द्वारा कुल 15 शील्ड एवं ट्रॉफियाँ प्राप्त हुई हैं।
- झांझा-पं.दीन दयाल उपाध्याय मेन लाइन सेक्शन गति सीमा को 110 कि.मी.प्रति घंटा से बढ़ाकर 130 कि.मी.प्रति घंटा करके औसतन कुल 20 मिनट के समय का ट्रेन परिचालन में बचत हुआ है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.037 मिलियन टन माल का लदान किया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 61 प्रतिशत अधिक है।
- इसके साथ-साथ 17 जुलाई 2021 का दिन ऐतिहासिक रहा, इस दिन तक 1 मिलियन टन माल का लदान किया गया।

- **Train punctuality** में दानापुर मंडल हमेशा एक नये कीर्तिमान स्थापित करने के लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहा है। वर्ष 2021–22 (अप्रैल–जुलाई) के दौरान 96 प्रतिशत समयपालन कायम है।
- किऊल स्टेशन पर चिर–लम्बित 150 वर्षों की यांत्रिक प्रणाली को बदलकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और यार्ड रिमॉडलिंग की गयी।
- ओरो, खुदागंज और कटारी नामक 3 नये स्टेशन बनाये गये।
- मोकामा और चाकंद में 2 नये गुड शेड बनाये गये।
- दानापुर मंडल के पटना तथा पाटलीपुत्र स्टेशन में ई–व्हीकल चार्जिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया।
- झांझा स्टेशन पर विद्युत आपूर्ति को 33 केवी फीडर से जोड़कर विद्युत आपूर्ति को बढ़ा दिया गया है एवं अभी वहा पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
- पटना स्टेशन पर फिर से 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण किया गया एवं यहा बिजली आपूर्ति की समस्या को हल किया गया।
- Central Hospital Patna में एक पूर्ण वातानुकूलित सम्मेलन कक्ष धनवन्तरि सभागृह का निर्माण कराया गया।
- महेन्द्रघाट में स्टेट ऑफ आर्ट “संस्कृति” नामक कन्वेंशन हॉल का उद्घाटन किया गया।

- राजेन्द्रनगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट की स्थापना की गयी।
- महाप्रबंधक/पूमरे द्वारा एक मैटेरियल टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया।
- पटना रनिंगरूम के निकट सॉलिड बेस्ट प्लांट की स्थापना की गयी।
- पटना, पाटलीपुत्र, आरा, दानापुर, किऊल आदि 15 स्टेशनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट की स्थापना की गयी।
- राजेन्द्रनगर में चिर–लंबित होली डे होम का उद्घाटन दिनांक 27.06.2021 को किया गया।
- डीजल के बदले विद्युत ट्रैक्शन के माध्यम से गाड़ियों का परिचालन करने पर 5600 Kiloliters HSD Oil की बचत से 38.72 करोड़ रुपये की बचत हुई।

- दानापुर मंडल में कोचिंग मद से 1289.69 करोड़, माल भाड़ा से 169.88 करोड़, अन्य कोचिंग मद से 118.28 करोड़ एवं विविध मद से 12.11 करोड़ राजस्व अर्जित किया गया।
- मंडल रेल अस्पताल दानापुर में 120 बेड का विशिष्ट कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति बनाये रखने का प्रावधान किया गया है।
- मंडल रेल अस्पताल दानापुर में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है।
- दानापुर मंडल में शतप्रतिशत कर्मचारियों को कोविड-19 टीके का प्रथम डोज लगाया जा चुका है। जो एक गर्व की बात है।
- 851 यात्रियों को ट्रेन में चिकित्सा सुविधा प्रदान की गयी।
- 426 कर्मचारियों को समापक भुगतान वर्ष में किया गया।

सोनपुर मंडल

सोनपुर मंडल

➤ सेवित क्षेत्र :

बिहार में छपरा (सारण), वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगुसराय, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार जिला ।

➤ यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

जंक्शन स्टेशन	:	09
ब्लॉक स्टेशन	:	59
हॉल्ट स्टेशन	:	23
पलैंग स्टेशन	:	04

➤ सेवित उद्योग

बरौनी के निकट बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी बरौनी, मुजफ्फरपुर स्थित एफ.सी.आई.साईडिंग एवं बी.पी.सी.एल. साईडिंग को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है ।

➤ गुड्स शेड

सराय, नारायणपुर अनंत, कर्पूरीग्राम, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया, मानसी, नवगछिया, कुर्सेला, सेमापुर एवं नयागांव ।

पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल के स्टेशनों पर अन्य प्रकार से अक्षम यात्रियों के लिए सुविधा

क्र.सं.	मद	स्टेशनों की संख्या जहां उपलब्ध है
01	स्टैंडर्ड रैम्प	हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय, खगड़िया एवं नवगछिया, दलसिंहसराय, थानाविहपुर (सिर्फ बुकिंग कार्यालय एवं प्लेटफार्म सं-01)
02	दिव्यांग के लिए पार्किंग रूट	हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया
03	पार्किंग से स्टेशन भवन तक नॉन स्लीपरी	हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया
04	साईनेज की व्यवस्था	सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया मानसी एवं नवगछिया
05	पेयजल नल	सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया, मानसी एवं नवगछिया

पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल के स्टेशनों पर अन्य प्रकार से अक्षम यात्रियों के लिए सुविधा

06	दिव्यांग के लिए सुविधाजनक शौचालय	सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया, मानसी, दलसिंह सराय एवं नवगछिया
07	क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ बूथ	हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, सोनपुर
08	व्हील चेयर की संख्या	दिधवारा, नयागांव, सोनपुर, हाजीपुर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, खुदीराम बोस पूसा, ढोली, अक्षयवटाराय नगर, देसरी, शाहपुरपटोरी, मोहिउददीन नगर, उजियारपुर, दलसिंह सराय, बछवारा, बरौनी, बेगुसराय, लखमनियां, साहेबपुर कमाल, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, नवगछिया, थानाविहपुर, काढ़ागोला रोड (25 स्टेशनों पर कुल 38 व्हीलचेयर उपलब्ध है।
09	व्हीलचेयर के लिए रास्ता	हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय, खगड़िया, थानाविहपुर एवं नवगछिया (सिर्फ बुकिंग कार्यालय एवं प्लेटफार्म सं-01)

यात्री सुविधा के अन्य मद

सुविधाएं	उपलब्ध
एटीएम	(08 स्टेशन) सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया, मानसी एवं नवगछिया
पे एंड यूज शौचालय	(09 स्टेशन) सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय, खगड़िया, नवगछिया, शाहपुरपटोरी, मानसी, दलसिंहसराय, एवं बरौनी
पार्किंग	(12 स्टेशन) सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया, विद्यापतिधाम,, नवगछिया, सबदलपुर एवं लखमनियां, थानाबिहपुर, शाहपुरपटोरी

WiFi की सुविधा	(67 स्टेशन) हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, खगड़िया, बेगुसराय, सेमापुर, रामदयालुनगर, तुर्की, कुढ़नी, नाराणपुर अनंत, सीतलपुर, सिंहो, ढोली, दुबहा, कर्पूरीग्राम, काढ़ागोला रोड, बखरी, कटरिया, खरीक, चकमकरन्द, अक्षयवटाराय नगर, चकसिंदर, देसरी, सहदेईबुजुर्ग, महनार, उमेशनगर, साहेबपुर कमाल, लखमिनियों, शाहपुरपटोरी, दनौली फुलवरिया, लाखो, तिलरथ, बड़ागोपाल, खुदीरामबोस पुसा, गोल्डेनगंज, सीतलपुर, दिधवारा, नयागांव, परमानंदपुर, नारायणपुर, पसरहा, नंदनीलगुनिया, गौछारी, महेशखुंट, सबदलपुर, सराय, धोसवर, उजियारपुर, नाजिरगंज, मोहिउदीनगर, विद्यापतिधाम, तेधरा, साठाजगत, भगवानपुर, बरौनी बायपास, गोरौल, गढ़हरा, दिनकरग्राम सिमरिया, दलसिंहसराय, थानाबिहपुर, कुर्सेला, पहलेजाधाट जं०, हरौली, फतेहपुर, सोनपुर, बछवारा, मानसी
वाटर वेडिंग मशीन	(09 स्टेशन) सोनपुर-02, हाजीपुर-04, मुजफ्फरपुर-06, बरौनी-08, खगड़िया-02 दलसिंहसराय-01, बेगुसराय-02, नवगछिया, -01, मानसी-02 (IRCTC द्वारा सभी का contract terminate कर दिया गया है)

समस्तीपुर मंडल

समस्तीपुर मंडल

➤ **सेवित क्षेत्र : 14**

समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दौरम मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णियां, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, खगड़िया और अररिया।

➤ **सेवित संसदीय क्षेत्र : 18**

अररिया, उजियारपुर, खगड़िया, झंझारपुर, दरभंगा, पूर्णियां, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, बेगूसराय, मधुबनी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, वाल्मिकीनगर, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं सुपौल

➤ **यात्री स्टेशन/हॉटों की संख्या :**

जंक्शन स्टेशन	:	09
ब्लॉक स्टेशन	:	106
हॉल्ट स्टेशन	:	70
फलैग स्टेशन	:	17

➤सेवित उद्योग : 6

यह मंडल हरिनगर चीनी मिल, नरकटियागंज चीनी मिल, हसनपुर चीनी मिल, मझौलिया चीनी मिल, बगहा चीनी मिल एवं सगौली चीनी मिल को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

➤गुड्स शेड : 31

लहेरियासराय, दरभंगा, सीतामढी, रक्सौल, बापूधाम मोतिहारी, बेतिया, चकिया, सहरसा, काँटी, खजौली, हरिनगर, नरकटियागंज, हसनपुर रोड, सोनवर्षा कचहरी, बदलाघाट, रामगढ़वा, सकरी, महवल, रीगा, जनकपुर रोड, तारसराय, सलौना, दौरम मधेपुरा, जयनगर, पूर्णियाँ कोर्ट, काँटी थर्मल पावर, बड़हरा कोठी, बुधमा, मुक्तापुर, कुमारबाग एवं खड़पोखरा।

उपलब्धियां

- बैरगनिया एवं घोड़ासहन स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है।
- दरभंगा, समस्तीपुर, बापूधाम मोतिहारी, सहरसा एवं जयनगर स्टेशनों पर बोतल क्रसिंग मशीन लगाया गया है।
- रक्सौल स्टेशन के महिला प्रतीक्षालय में सैनिटरी पैड मशीन तथा पीआरएस में पीओएस मशीन लगाया गया है।
- यात्रियों को आसानी से सामान्य व आरक्षित टिकट प्राप्त हो सके इसके लिए मंडल के 03 स्टेशनों (सहरसा, बापूधाम मोतिहारी एवं चकिया) पर यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाई0टी0एस0के0) खोला गया है।

उपलब्धियां

- वर्ष अप्रैल/2021 से अगस्त 2021 तक मंडल के 06 स्टेशनों (बुधमा, मुरलीगंज, कमतौल, परमजीवर-ताराजीवर, बदलाघाट, एवं कोपरिया) पर एफओबी का कार्य पूरा किया गया है।
- यात्रियों को आसानी से सामान्य टिकट प्राप्त हो सके इसके लिए मंडल के 46 स्टेशनों (अंगारघाट, सिधियाघाट, नयानगर, श्री कृष्ण सिंह नगर गढ़पुरा, ओलापुर, बदलाघाट, धमाराघाट, कोपरिया, पचगछिया, गढ़बरुआरी, बैजनाथपुर, **JANKI NAGAR**, सरसी, मुक्तापुर, किशनपुर, रामभद्रपुर, **KAKARIGHATI** थलवारा, तारसराय, मुहम्मदपुर, जोगियारा, परसौनी, रीगा, ढेंग, कुण्डवाचैनपुर, छौड़ादानो, आदापुर, भेलवा, सिकटा, भैरोगंज, खड़पोखरा, वाल्मिकी नगर, साठी, कुमारबाग, मझौलिया, जीवधारा, पीपरा, महवल, परमजीवर-ताराजीवर, रुन्नीसैदपुर, गाढ़ा, डुमरा, सरायगढ़, थरबिटिया, लोहना रोड, हरनगर एवं काँटी) पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट (एस०टी०बी०ए०) बहाल किया गया।

Make in India Logo



सुरक्षा

- **388** रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन 388 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है ।
- **2085** सीसीटीवी कैमरे विभिन्न स्टेशनों पर लगाये गये हैं ।
- **07** प्रमुख स्टेशनों यथा पटना, राजेन्द्रनगर, धनबाद, पं० दीनदयाल उपाध्याय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर तथा रक्सौल पर ISS के तहत **423** कैमरा लगाये गए हैं तथा अन्य **50** रेलवे स्टेशनों पर निर्भया फंड के तहत **1662** सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं ।
- सुरक्षा हेल्पलाइन-182 दिनांक-05.11.2014 से शुरू किया गया । इसके द्वारा आश्यकतानुसार यात्रियों को मदद पहुंचाई जा रही थी ।
- दिनांक-01.04.2021 से हेल्पलाईन-182 को रेल मदद में समायोजित कर दिया गया है । वर्तमान समय में यात्रियों की शिकायतों को रेल मदद के माध्यम से मदद की जा रही है ।

रेल मदद नं०- 139 का विस्तृत विवरण

वर्गीकरण	प्राप्त मामले
	वर्ष 2021 नवंबर तक
टी.ओ.पी.बी.	1287
अनाधिकृत प्रवेश	491
उपद्रव (Nuisance)	433
रिश्तेदारों के कॉल का जवाब न दे पानेवाले यात्रीगण ।	642
समानों का छूटना	550
चिकित्सा सहायता	13
छेड़खानी (Eve-teasing/Molestation)	113
अन्य	1198
कुल	4727

समय की उपलब्धता को ध्यान रखते हुए सभी सदस्यों से नम्र निवेदन है कि महत्वपूर्ण एक या दो विषयों को चर्चा हेतु रखें। बाकी विषयों को लिखित में दें, जिन्हें कार्यवृत्त में सम्मिलित कर लिया जाएगा।



धन्यवाद

कार्यवृत्त बनाने की सुविधा के लिए, कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की जा रही है।